

N.D.H.:16.10.2024

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO.367 OF 2022

IN THE MATTER OF:

RAJENDRA PRASAD GUPTA

..... APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. AND OTHERS

.... RESPONDENTS

INDEX


S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Report on behalf of Varanasi Municipal Corporation with affidavit	1 – 21
2.	<u>ANNEXURE R-1</u> A true copy of letters of Chief Environment Officer, circle -6 dated 01.07.2024	22 – 35
3.	<u>ANNEXURE R-2</u> A true copy of report of Jal Nigam (Rural) and U.P. Jal Nigam (Urban) dated 31.07.2024	36 – 42
4.	<u>ANNEXURE R-3</u> A true copy of Report of Jal Kal, Department Municipal Corporation, Varanasi dated 31.07.2024	43
5.	<u>ANNEXURE R-4</u> A true copy of latest Joint report dated 04.10.2024 of UP Jal Nigam (Rural) UP Jal Nigam (Urban) and Jal Kal Department, Municipal Corporation, Varanasi	44
6.	<u>ANNEXURE R-5A</u> A true copy of Minutes of review meeting conducted by Municipal Commissioner, Varanasi held on 23.07.2024	45 – 49
7.	<u>ANNEXURE R-5B</u> The photos of the bioremediation which was being done by the Jalkal Department	50 – 54
8.	<u>ANNEXURE R-6</u> The samples of treated sewage in the said temporary plant are tested on a weekly basis by IIT, BHU the reports of IIT BHU	55 – 57
9.	<u>ANNEXURE R-7</u> A copy minutes of the meeting dated 28.09.2024 issued under the Joint chairmanship of Principal Secretary, Namami Gange and Rural Water Supply Department and Principal Secretary Urban Development Department Govt. of U.P.	58 – 64

10.	<u>ANNEXURE R-8</u> A copy of the letter sent by Jalkal Department to UP Jal Nigam and UP Jal Nigam (Rural) for allocation of funds	65 – 67
11.	<u>ANNEXURE R-9</u> A photocopy of the letter sent by NMCG to UP Jal Nigam (Rural) regarding approval of plan for selecting UP Jal Nigam (Rural) as the agency for Assi drain	68 – 74
12.	<u>ANNEXURE R-10</u> A photocopy of the minutes of the review meeting conducted by Chief Secretary, Principal Secretary and Commissioner Varanasi Division Varanasi	75 – 81
13.	<u>ANNEXURE R-11</u> A copy of UP Water Supply and Sewage Management (Amended) Act, 2021	82 – 88
14.	<u>ANNEXURE R-12</u> A copy of Whatsapp message from RO UPPCB	89 – 90

Place: New Delhi

Date: 16.10.2024

FILED BY:

(GAURAV AGARWAL & VIPUL SHUKLA)

Advocates for Respondent No.6
Commissioner, Varanasi Nagar Nigam

GRV LEGAL
Advocates and Legal Consultants
O-703, Aditya Mega City,
VaibhavKhand, Indirapuram,
Ghaziabad, U.P. NCR- 201014
Mob.: 8802911392
Email. : gaurav@grvlegal.in

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 367 OF 2022

IN THE MATTER OF :

RAJENDRA PRASAD GUPTAAPPLICANT
VERSUS
STATE OF U.P. AND ORS.RESPONDENTS

(Report on behalf of Municipal Corporation, Varanasi)

1. That Environmental Compensation has been imposed on Varanasi Municipal Corporation, Varanasi for improper disposal of sewage in Ganga River and Varuna River in District - Varanasi, on the basis of misleading report presented by the then Regional Officer, Uttar Pradesh Environment Control Board, Varanasi, Shri S.C. Shukla, and the same was upheld by the Chief Environment Officer Circle-6, Lucknow. The details of letters for imposing Environmental Compensation are as follows:-

Sr. No.	Officer imposing environmental compensation	Office Letter No.	River Name	Drain Name	Amount of EC (in crores)
1	Chief Environmental Officer Circle-6	एच13309/सी-6/सा 274/न0नि0 वाराणसी/2024, दिनांक-01.07.2024	Ganga River	Nakkha, Samengha, Assi/ Nagwa	6.90
2	Chief Environmental Officer Circle-6	एच13311/सी-6/सा 274/न0नि0 वाराणसी/2024, दिनांक-01.07.2024	Ganga River	Saira Mata Temple, Ghatwarim ata Temple	2.27
3	Chief Environmental Officer Circle-6	एच13307/सी-6/सा 876/पर्या0 सुरक्षा समिति/2024, दिनांक-01.07.2024	Varuna River	Durga Drain	0.8533
Total environmental compensation imposed					14.6533



A true copy of letters of Chief Environment Officer, Circle – 6 dated 01.07.2024 are annexed herewith collectively as **ANNEXURE No. R1** (colly).

2. That the perusal of aforesaid letters by the Chief Environmental Officer Circle-6, reveals that the Environmental Compensation imposed on the Municipal Corporation, Varanasi has been imposed in accordance with the order dated 21.05.2020 passed in OA No. 593/2017 Paryavaran Suraksha Samiti and others vs Union of India and others passed by Hon'ble NGT, New Delhi, the relevant excerpts of the order passed by Hon'ble NGT are reproduced as follows:-

"All States/UTs through their concerned departments such as Urban/Rural Development, Irrigation & Public Health, Local Bodies, Environment, etc. may ensure formulation and execution of plans for sewage treatment and utilization of treated sewage effluent with respect to each city, town and village, adhering to the timeline as directed by Hon'ble Supreme Court. STPs must meet the prescribed standards, including faecal coliform."

The perusal of the above order reveals that various departments have been assigned the responsibility for sewage treatment, but the Chief Environment Officer, Circle-6, relying only on the frivolous report of the Regional Officer, has imposed penalty on the Municipal Corporation, Varanasi only, holding it responsible for the wrongs and imposed hefty Environmental Compensation.

3. That it is pertinent to mention here that as per the U.P. Water Supply and Sewerage Act, 1975 as amended by the The U.P. Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 2021, which came into force on 24.08.2021, the responsibility for tapping of sewage and construction of STP on all the drainages in Varanasi city has been fixed on the U.P. Jal Nigam (Rural) and U.P. Jal Nigam (Urban) and to lay sewer lines within the Municipal Corporation limits the responsibility is of the UP Jal Nigam (Urban). For ready reference the provisions of the 1975 Act as amended by 2021 Act is being reproduced below –



14. Area of jurisdiction and functions of the U.P. Jal Nigam (Urban) The jurisdiction of the Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban) shall be the notified urban area of the State. The function of the Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban) shall be the following, namely

:-

(i) the preparation, execution, promotion and financing the schemes for the supply of water and for sewerage and sewage disposal;

(ii) to render all necessary service in regard to water supply and sewerage to the State Government and urban local bodies, on request to private institution or individuals;

.....

(vi) to establish state standards for water supply and sewerage services;

.....

(xi) to assess the requirements for manpower and training in relation to water supply and sewerage services in the State;

(xii) to carry out applied research for efficient discharge of the function of the Nigam or a Jal Sansthans;

.....

14-A. Area of jurisdiction and functions of the U.P. Jal Nigam (Rural) The jurisdiction of the Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) shall be the rural area of the State. The function of the Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) shall be the following, namely:-

(i) the preparation, execution, promotion and financing the schemes for the supply of water and for sewerage and sewage disposal;

(ii) to render all necessary service in regard to water supply and sewerage to the State Government and rural local bodies, on request to private institution or individuals;

.....

(vi) to establish state standards for water supply and sewerage services;



(ix) to establish and maintain a facility to review and appraise the technical, financial, economic and other pertinent aspect of every water supply and sewerage scheme in the State;

(xi) to assess the requirements for manpower and training in relation to water supply and sewerage services in the State;

(xii) to carry out applied research for efficient discharge of the function of the Nigam or a Jal Sansthans;

(xiii) notwithstanding anything above, Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) shall also be responsible for implementation of schemes under NamamiGange program in the State of Uttar Pradesh;

.....

=

Departmental Facts Regarding The Drains Discharging Into The Ganga River

4. That it is pertinent to mention here about the joint report submitted by the implementing agencies Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban), Jal Nigam (Rural) and Jalkal Department, Municipal Corporation, Varanasi about the current status of the drains and the sewerage flowing in the rivers, the important facts from the said report (which are annexed as, A true copy of Report of Jal Nigam (Rural) and Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban) dated- 31.07. 2024 is annexed herewith as **ANNEXURE No. R2**. A true copy of Report of Jal Kal, Department Municipal Corporation, Varanasi dt. 31.07.2024 is annexed herewith as **ANNEXURE No. R3**. A true copy of Latest Joint report dt. 04.10.2024 of UP Jal Nigam (Rural), UP Jal Nigam (Urban) and Jal Kal Department, Municipal Corporation, Varanasi is annexed herewith as **ANNEXURE No. R4**. A true copy of Minutes of review meeting conducted by Municipal Commissioner, Varanasi held on 23.07.2024 is annexed herewith as **ANNEXURE No. 5A**, are as follows:-




Regarding Nakha Drain Through NMCG, New Delhi under the JICA assisted Ganga Action Plan Phase II project, for interception and diversion of drains a sewage lift station is installed at the Trauma Center which by Non-interception, diversion and gravity sewer pipeline transfers the sewerage at Ramna, which is operational since 2021 where 50 MLD sewage is

treated. One more STP at Bhagwanpur treats 9.8 MLD sewerage. The treated effluent of the 9.8 MLD STP located at Bhagwanpur also flows into the above drain. At present, about 5 MLD sewage flows into the said drain, out of which about 2-2.5 MLD sewage is treated at the above mentioned STP and only 2.5-3 MLD sewage flows, which is treated by bioremediation method. After the above-mentioned 2.5-3 MLD sewage is treated by bioremediation, approximately 10 MLD effluent from Bhagwanpur STP gets mixed with the treated water and flows into the Ganga river. Hence, the amount of BOD and TSS mentioned in the sample taken by the regional office, i.e. 48 ppm and 148 ppm respectively, is unjustified.

Samneghat drain, the sewage flowing through the interception and diversion is done under the JICA assisted Ganga Action Plan Phase-II project funded by NMCG, New Delhi, and is treated at the 50 MLD STP located at Ramna, which is operational since 2021, through the sewage lift station located at Trauma Center through interception, diversion and gravity sewer pipeline. After the said interception and diversion, the above drain is completely tapped. In view of the above-mentioned gravity sewer pipeline getting choked in the month of March 2024, the Jalkal Department was getting the untreated sewage treated by bioremediation method to prevent the flow of untreated sewage into the Ganga river. After resolving the problem of leakage or breakage occurred in the said pipeline, currently no untreated sewage is flowing into the Ganga river. Therefore, the amount of BOD and TSS mentioned in the sample taken by the Regional Office for Samneghat drain 112 ppm and 206 ppm respectively, is unjustified and illegal.

Assi/ Nagwa Drain, for the treatment of sewage flowing, the treatment is done on the 50 MLD STP located at Ramna, operational since 2021, under the NamamiGange program. Currently, about 78 MLD sewage is received in the said drain and out of 78 MLD sewage 28 MLD sewage remains untreated. As per the testing done in the lab located at Ramna, the average BOD and TSS in the sewage flowing in the above drain is 125 ppm and 250 ppm respectively. For the said untreated sewage, the Municipal Corporation, Varanasi is getting it treated through bioremediation method




through Jalkal Department, Varanasi since the year 2021. In compliance with the order passed by Hon'ble NGT in OA No. 128/2021, the capacity to construct a STP of 55 MLD capacity under NamamiGange program was approved for the treatment of the said additional sewage, the construction work of which is currently in progress. The said STP is proposed to be operational by December 2025. To establish a temporary treatment system till the construction of the above STP, a project for sewage treatment with Advanced Oxidation Process Technology has been approved by NMCG, New Delhi, which has been made operational from May 2024. After the operation of the said plant, the bioremediation treatment system has been removed by the Jalkal Department, Varanasi. The photos of the bioremediation which was being done by the Jalkal Department has being annexed as **Annexure No. R 5B**. The samples of treated sewage in the said temporary plant are tested on a weekly basis by IIT, BHU. The reports of IIT BHU has been annexed as **Annexure No. R 6**.

It is clear from the test report of the sampling done by BHU that the quantity of 104 ppm and 212 ppm of BOD and TSS respectively mentioned in the said drain on the basis of sampling done by the Regional Officer is, unjustified."

Sayri Mata Mandir Drain and Ghatwari Mata Mandir Drain, it is to be informed that both these drains were earlier under Nagar Panchayat Sujabad, which has been included in Municipal Corporation Varanasi after the extension of Municipal Corporation Varanasi limits a few months ago. Before the said area came under the Municipal Corporation limits the Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban) was responsible for constructing STP on this drain, under Amrut Jal Mission-2, and after the area came under the Municipal Corporation limits the U.P. Jal Nigam (Rural) is still the body responsible for treatment of sewage flowing from the said drains. Letter of award is also to be issued for this work and for remaining 2 drains the U.P.

Jal Nigam (Rural) was made the implementing agency. For which a meeting was conducted under the joint chairmanship of Principal Secretary, NamamiGange and Rural Water Supply Department, Uttar Pradesh Government and Principal Secretary, Urban Development Department,



Uttar Pradesh Government for the sake of brevity the minutes of the meeting dated 28.09.2024 is being reproduced below -

"सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन एवं परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी तथा परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी को वाराणसी की सीवरेज व्यवस्था के संबंध में प्रस्तुतीकरण देने हेतु निर्देशित किया गया।

परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जलनिगम ग्रामीण, वाराणसी के द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरणपर विचार विमर्श करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये:-

1- अवगत कराया गया कि नगर निगम, वाराणसी को 06 सीवरेज डिस्ट्रिक्ट में विभाजित किया गया है, जिनमें 07 एस०टी०पी०कुल क्षमता 420 एम०एल०डी० के स्थापित है। इन 06 सीवरेज डिस्ट्रिक्ट में 44 नग नाले प्रवाहित होते हैं, जिनसे लगभग 522 एम०एल०डी० सीवेज उत्पन्न होता है। वर्तमान मे गंगा नदी की तरफ बह रहे कुल 29 नालो में से 26 नाले पूर्ण रूप से टैप्ड है, अवशेष 03 नालो में से 02 नालो की टैपिंग का कार्य नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति पर है एवं 01 नाले की टैपिंग अमृत कार्यक्रम

के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर एम०एल०टी०सी० से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।



1. नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 02 नालों की टैपिंग का कार्य समय से पूर्ण कराये जाने हेतु, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही-उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)

2. अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित 01 नाले की टैपिंग के कार्य का एल०ओ०ए० शीघ्र जारी कर कार्य प्रारम्भ कराये जाने के निर्देश उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के अधिकारियों को दिये गये।

कार्यवाही-उ०प्र० जल निगम (नगरीय)

A copy Minutes of the meeting dated 28.09.2024 issued under the joint chairmanship of Principal Secretary, NamamiGange and Rural Water Supply Department and Principal Secretary Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh is annexed herewith as **ANNEXURE No. R7.**

5. That as a solution in the future course in compliance of order dt. 16.07.2024 passed by the Hon'ble NGT in the matter of O.A. No. 367 of 2022 Rajendra Prasad Gupta vs State of UP the concerned departments namely Jal Nigam (Urban), Jal Nigam (Rural) and Jal Kal Department, Nagar Nigam, Varanasi gave a joint report dt. 04.10.2024 (Annex No. 4) which clearly states the future plans and current status for the drains, on which illegal penalty has been imposed on the Municipal Corporation, Varanasi. For the sake of brevity the relevant portion of the report is being reproduced below -



**COMBINED REPORT OF UPJN(URBAN/RURAL) AND JALKAL VIBHAG, VNN IN COMPLIANCE OF
ORDER PASSED BY HON'BLE NGT ON 16.07.2024 IN THE MATTER OF OA No. 367/2022 RAJENDRA
PRASAD GUPTA VS STATE OF UTTAR PRADESH**

S.N.	Name of Drains	Flow (MLD)	Status	Tapped Flow (MLD)	Remarks
1	Assi/ Nagwari Drain	78.0	Partially Tapped	50	Present flow in Assi/Nagwa drain is about 78 MLD. Around 50 MLD is being treated at 50 MLD STP Ramna and for balance 28 MLD excess quantity of sewage, construction of 55 MLD STP at Bhagwanpur is in progress and is proposed to be completed by December 2025. Additionally, Project of sewage treatment based on Advanced Oxidation Process has been approved by NMCG, New Delhi for the interim treatment system till construction of 55 MLD STP is completed. Plant is commissioned in May 2021. The said plant has been installed near the confluence of Assi River and Ganga River in Nagwa area, in which treatment is being done through geo tubes. At present, due to rise in the water level of river Ganga, plant is temporarily non operational.
2	Nakkhha Drain	5.00	Partially Tapped	2.5	The current discharge of the drain is 05 MLD. Out of which 2.5 MLD sewage is being tapped and treated in 50 MLD STP Ramna and complete tapping is proposed in above mentioned under construction 55 MLD STP Bio-Remediation is conducted by Jalkal Vibhag, VNN as interim measure. Bio-remediation is temporarily stopped due to monsoon and rise in level of River Ganga.
3	Samne Ghat Drain	1.17	Tapped	1.17	Tapped and diverted to 50 MLD STP Ramana. Overflow occurred in this drain in month of March 2024 due to chockage of Sewer pipeline. Bio-remediation was conducted by Jalkal Vibhag, VNN during period of De silting. No overflow is occurring after cleaning of sewer Pipe Line.
4	Sayar Mata Mandir & Ghatwari Mata Mandir Drain	4.50	Untapped.	0	Sujabad NP has recently been merged in Varanasi Municipal Corporation. Combined flow of these two drains is 4.5 MLD. Tapping of these drains is proposed in 07 MLD STP approved under AMRUT 2.0 Programm. Letter of award is issued on 30.09.2024. Completion period is 02 years.

A
04/10/2024
Ashish Kumar Singh
Project Manager
GPPU, UPJN(Rural)
Varanasi

K
04/10/2024
Kamlesh Singh
Executive Engineer
CD-1, UPJN(Rural)
Varanasi

A
Anoop Singh
GM, Jalkal Vibhag
Varanasi Municipality Corporation

That further on an earlier occasion also a joint report dt. 31.07.2024 (Annex No. 2) by the UP Jal Nigam (Urban) and UP Jal Nigam (Rural) was made in which the concerned authorities are also named for carrying out the project along with the future plans and current status of the drains, the relevant portion of the report is being reproduced below -



बिन्दु सं० 06:-

वर्तमान में वाराणसी नगर में रीवेज शोधन हेतु निम्नानुसार एस०टी०पी० निर्माणाधीन/स्वीकृत/प्रस्तावित है-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कार्यकारी संस्था	एस०टी०पी० की क्षमता	अद्यतन स्थिति	टिप्पणी
01	55 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, भगवानपुर	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)	55 एम०एल०डी०	निर्माणाधीन	परियोजना की कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 07.03.2024 एवं पूर्ण होने की 08.12.2025 है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। परियोजना की भौतिक प्रगति 5.0 प्रतिशत है।
02	आई एण्ड डी० एवं एस०टी०पी० वर्क्स एट दुर्गा नाला	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)	55 एम०एल०डी०	स्वीकृति अपेक्षित	परियोजना का डी०पी०आर० नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत माह अप्रैल 2022 में एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था। वर्तमान तक स्वीकृति अपेक्षित है। परियोजना की स्वीकृति एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना के कार्य 24 माह में पूर्ण कराये जाना प्रस्तावित है।
03	80 एम०एल०डी० एस०टी०पी० दीनापुर की 220 एम०एल०डी० की क्षमता वृद्धि की परियोजना।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)	220 एम०एल०डी०	प्रस्तावित	परियोजना का डी०पी०आर० नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 14.07.2024 में एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। परियोजना की स्वीकृति एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना के कार्य 30 माह में पूर्ण कराये जाना प्रस्तावित है।
04	07 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सुजाबाद	उ०प्र० जल निगम (नगरीय)	07 एम०एल०डी०	निविदा प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने में लगभग 1.5 माह का समय लगना अनुमानित है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना के अन्तर्गत कार्य को 21 माह में पूर्ण कराये जाना प्रस्तावित है।

संदर्भ:- उपरोक्तानुसार।

(क्रमेश सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (प्रथम)
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
वाराणसी।

(अशोक कुमार सिंह)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
वाराणसी।
परिषद् प्रबन्धक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

That from the both above stated reports it clearly reflects that Municipal Corporation, Varanasi is not the concerned authority for setting-up the STPs, yet to carry out its public duty the Municipal Corporation, Varanasi is taking regular updates and follow-ups with the concerned departments for the setting-up of STPs and cleaning of drains and rivers.

6. Apart from the above, it would also be appropriate to bring it to the notice of the Hon'ble Tribunal here that the work of tapping the



sewage discharged into the Ganga River and Varuna River, construction of STP and laying of sewage pipeline is also not done by the Municipal Corporation, Varanasi and neither has the responsibility been assigned to the Municipal Corporation, Varanasi, despite this, in view of the spirit of public welfare by the Municipal Corporation, Varanasi, the undersigned directed the Jalkal Department, Municipal Corporation, Varanasi in the meeting held on dt. 23.07.2024, to allocate an amount of Five Crores to U.P. Jal Nigam (Rural) Varanasi from the S.W.M. part of the 15th Finance for the treatment of sewage of the drains in which excess sewage goes. Apart from this, Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) Varanasi was directed to complete the tender process on time at its level and start the process of sewage purification through bioremediation method so that BOD and TSS etc. come as per the standards set by Hon'ble NGT. A copy of meeting minutes dated 23.07.2024 annexed herewith as **Annexure- R 5**.

7. That in pursuance of the same, the office letter no. 510/II/ज०क०न०नि०, dated 14.08.2024 of the Jalkal Department Municipal Corporation Varanasi sent a letter to the Executive Engineer, Jal Nigam (Rural) and requested to provide the demand letter to the Jalkal Department for the demand of the aforesaid amount while completing the process of tendering at their level for the purification of impure sewage to be disposed in the Ganga River and Varuna River through bioremediation system. Thereafter, again, a letter was sent to the office letter no. 644/II/ज०क०न०नि० dated 04.09.2024 requesting for the demand letter for the payment of the desired amount, but no request for amount was submitted by UP Jal Nigam (Rural), so that further action could be taken. It would also be appropriate to inform that UP Jal Nigam (Rural) is currently purifying sewage through Advanced Oxidation Process in collaboration with NMCC at Assi/Nagwan drain. Therefore, UP Jal Nigam (Rural) and UP Jal Nigam (Urban) are responsible for the work of constructing STPs for purifying the drains by tapping them. A copy of the letter



sent by Jalkal Department to UP Jal Nigam and UP Jal Nigam (Rural) for allocation of funds is annexed herewith as **ANNEXURE No. R 8.**

8. That it is pertinent to mention here that Jalkal Department, Municipal Corporation, Varanasi only does the work of cleaning the sewage, apart from this all the officers/ employees are engaged in resolving daily problems of the citizens like sewer choke, water logging and drinking water supply etc. in the city every day. As far as the sewage treatment is concerned, there are no additional employees in the department for that nor does the department have any technical expertise for this, but for the treatment of sewage of Assi Drain, the sewage was being treated by bioremediation method by the Jalkal Department, and after the passage of the U.P. Water Supply and Sewerage Act, 1975, two separate bodies for the treatment of sewage were formed namely Jal Nigam (Urban) and Jal Nigam (Rural), which were made the bodies responsible for treating the sewage in Varanasi as well, thereafter UP Jal Nigam (Rural) started Advanced Oxidation Treatment under Namami Gange Yojana, and the bioremediation system was removed by the Jalkal Department and the sewage was being treated by the Jal Nigam (Rural) only.

A Photocopy of the letter sent by NMCG to UP Jal Nigam (Rural) regarding approval of plan for selecting UP Jal Nigam (Rural) as the agency for Assi drain is annexed herewith as **ANNEXURE No. R 9.**

9. That as per The U.P. Water Supply and Sewerage Act, 1975 the responsibility of tapping all the drains and constructing STPs has been fixed on the implementing department Namami Gange and the Drinking Water Supply Department (Rural), and the responsibility of laying sewage lines in all the areas under the limits of the Municipal Corporation, Varanasi has been entrusted to UP Jal Nigam (Urban).

This is the responsibility casted upon these departments as per the Act, they must fulfil their responsibilities. This very fact was even known by the then Regional Officer, SC Shukla even after this,



environmental compensation was imposed against Varanasi Municipal Corporation.

Regarding Drains Being Disposed Of In Varuna River


10. That based upon the reports of the Regional Officer of UP Pollution Control Board, Varanasi sent through letter dated-29.05.2024, the Municipal Corporation, Varanasi was made the responsible institution by the Board Headquarters vide letter no. H-13310/C-6/ SA 274/न०नि० वाराणसी/2024, dated-01.07.2024 and H-13307/C-6/Sa876/Paryavaran Suraksha Samiti/ 2024, dated-01.07.2024, by the office of Chief Environmental Officer Circle-6, according to which, the inspection of Teliyabad drain, Narokhar Drain and Chamrautha drain located in district Varanasi was done by the Regional Office of State Board, Varanasi on dated-15.05.2024 was done and being found non-compliant environmental compensation was imposed on the Municipal Corporation, Varanasi without granting any opportunity of hearing.

11. In pursuance of the same, it is to bring to the kind attention of the Hon'ble NGT that for proper management of polluted water flowing in Varuna river in Varanasi, a meeting under the chairmanship of Chief Secretary, Uttar Pradesh Government was held on 09.04.2024 in which responsibility has been assigned to Uttar Pradesh Irrigation Department, Uttar Pradesh Jal Nigam Rural/Urban, UPPCL.

A Photocopy of the minutes of the review meeting conducted by Chief Secretary, Principal Secretary and Commissioner Varanasi Division Varanasi is annexed herewith as **ANNEXURE No. R10**.

In the sequence of instructions given by Chief Secretary, the responsibility is determined as follows:-

क्रमांक	कार्यवाही बिन्दु	कार्यवाही किये जाने वाले सम्बन्धित विभाग
1	वरुणा नदी के किनारे पूर्व में स्थापित इण्टरसेक्टर सीवर लाइन/ चैम्बर्स की	1. प्रमुख सचिव, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग



	मरम्मत व डिसिल्लिंग कार्य किये जाने के सम्बन्ध में।	2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०
2	वरुणा नदी में प्रवाहित होने वाले नालो की टैपिंग एवं एस०टी०पी० निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में	1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग 2. प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० जल निगम ग्रामीण
3	वरुणा नदी के दोनो किनारो पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इण्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एस०टी०पी० एवं दीनापुर एस०टी०पी० का डायवर्जन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग। 2. प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
4	प्रस्तावित कार्यों के समन्वय एवं हस्तान्तरण के सम्बन्ध में	1. प्रमुख सचिव, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग 2. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
5	वरुणा नदी में जल जमाव से उत्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में	प्रमुख सचिव, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग

Further, by the review meeting held by the Commissioner, Varanasi Division, Varanasi on 29.07.2024, the responsibility was again assigned to the Irrigation Department, Uttar Pradesh Jal Nigam Rural/Urban, UPPCL. Photocopies of both the above minutes are attached for perusal. In which it is mentioned that after the executing agencies complete there task of laying the sewer and treatment of sewage then the completed project will be handed over to the Municipal Corporation, Varanasi. From which it is clear that the environmental compensation imposed on Varanasi Municipal Corporation is illegal and non-est in the eyes of law and liable to be quashed.

12. It is very important to bring this fact to the notice of the Hon'ble Tribunal that the report sent by the Regional Officer Shri S.C. Shukla for environmental compensation imposed by the Chief Environmental Officer is baseless, different from the actual facts and against the law.



13. Regional Officer Shri S.C. Shukla, UP Pollution Control Board, Varanasi, had sent the inspection report to the State Board after inspecting the drains without informing the Municipal Corporation, Varanasi and at the time of inspection, no representative from Varanasi Municipal Corporation was present. Hence, it cannot be clarified from where the sample collected by him has been taken. It is also mentioned in the letter by the RO, UPPCB that the Municipal Corporation representative informed that the bioremediation plant was removed 15 days ago but the name of the Municipal Corporation representative has not been clearly mentioned. Apart from this, it has been clarified in the joint report to UP Jal Nigam (Urban) and UP Jal Nigam (Rural) that the sample of treated sewage is tested by IIT BHU, which is a reputed institution, whose report was found to be in accordance with the standards set by Hon'ble NGT. In such a situation, the allegation levelled by the Regional Officer is against the baseless and against the law and appears to be made to harass the institution and its officers.

14. The Environmental Compensation is imposed on the Municipal Corporation, Varanasi on the basis of orders passed by the Hon'ble NGT in Paryavaran Suraksha Samiti and others vs Union of India and others in which Varanasi Municipal Corporation is not a party then also the hefty penalty was imposed on the Municipal Corporation, Varanasi.

Further it is pertinent to mention here that the main part of the order passed by Hon'ble NGT is as follows:-

"All States/UTs through their concerned departments such as Urban/Rural Development, Irrigation & Public Health, Local Bodies, Environment, etc. may ensure formulation and execution of plans for sewage treatment and utilization of treated sewage effluent with respect to each city, town and village, adhering to the timeline as directed by Hon'ble Supreme Court. STPs must meet the prescribed standards, including faecal coliform."



From the perusal of the aforesaid portion it is clear that the work of sewage treatment and STP construction was not the sole responsibility of the Municipal Corporation, Varanasi rather various other departments have been identified by the Hon'ble NGT such as Urban/Rural Development Department, Civic Department, Health Department, Local Bodies, Environment Department etc. and as per the The U.P. Water Supply and Sewerage Act, 1975 as amended by The U.P. Water Supply and Sewerage (Amendment) Bill, 2021 two other independent bodies namely UP Jal Nigam (Rural) and UP Jal Nigam (Urban) have been formed to take and prepare action on the sewage and its treatment and further the Municipal Corporation, Varanasi realising its public duty has also sanctioned money for the aforementioned public acts to further the orders of the Hon'ble NGT but the other institutions like the Jal Nigam (Rural) and Jal Nigam (Urban) and they must perform their duties as the public bodies and the responsibilities casted upon them by the Hon'ble NGT and the Acts passed by the State Government.

But on the contrary, considering the Varanasi Municipal Corporation fully responsible, environmental compensation was imposed on it, which is completely against the law.

15. That even as per Ss. 14 and 14A of The U.P. Water Supply and Sewerage Act, 1975 as amended by The U.P. Water Supply and Sewerage (Amendment) Bill, 2021 the prime responsibility of sewerage and treatment of sewerage is that of Jal Nigam (Urban) for urban areas and of Jal Nigam (Rural) for rural areas and for the sake of brevity the relevant portions of Ss. 14 and 14A of the Act is being reproduced below – **ANNEXURE No. R10**.

14. Area of jurisdiction and functions of the U.P. Jal Nigam (Urban) The jurisdiction of the Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban) shall be the notified urban area of the State.

The function of the Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban) shall be the following, namely :-



(i) the preparation, execution, promotion and financing the schemes for the supply of water and for sewerage and sewage disposal;

(ii) to render all necessary service in regard to water supply and sewerage to the State Government and urban local bodies, on request to private institution or individuals;

.....

(vi) to establish state standards for water supply and sewerage services;

.....

(xi) to assess the requirements for manpower and training in relation to water supply and sewerage services in the State;

(xii) to carry out applied research for efficient discharge of the function of the Nigam or a Jal Sansthan;

.....

14-A. Area of jurisdiction and functions of the U.P. Jal Nigam (Rural) The jurisdiction of the Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) shall be the rural area of the State. The function of the Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) shall be the following, namely:-

(i) the preparation, execution, promotion and financing the schemes for the supply of water and for sewerage and sewage disposal;

(ii) to render all necessary service in regard to water supply and sewerage to the State Government and rural local bodies, on request to private institution or individuals;

.....

(vi) to establish state standards for water supply and sewerage services;

.....

(ix) to establish and maintain a facility to review and appraise the technical, financial, economic and other



pertinent aspect of every water supply and sewerage scheme in the State;

(xi) to assess the requirements for manpower and training in relation to water supply and sewerage services in the State;


(xii) to carry out applied research for efficient discharge of the function of the Nigam or a Jal Sansthan;

(xiii) notwithstanding anything above, Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) shall also be responsible for implementation of schemes under NamamiGange program in the State of Uttar Pradesh;

.....

From the bare perusal of the aforesaid provisions it is amply clear that the duties for the sewerage and its treatment lies with the Jal Nigam (Urban) and Jal Nigam (Rural) and not with the Municipal Corporation, Varanasi as the U.P. Water Supply and Sewerage Act, 1975 as amended by the 2021 Act is a special enactment and it must be considered before imposing any responsibility on Municipal Corporation, Varanasi as Municipal Corporation, Varanasi is fully co-operating and following directions of Hon'ble NGT.

16. Further, Regional Officer S.C. Shukla has sent a report to the State Board for imposing environmental compensation on Varanasi Municipal Corporation with prejudiced mentality, because he himself was present in the meeting of Chief Secretary, U.P. Government and other review meetings, and he was well aware about the decisions taken in that meeting and which institutions were made the implementing department for the construction of STPs on rivers and treatment of sewage, despite this misleading reports were sent against Varanasi Municipal Corporation. Whereas it is also clear from the aforesaid contentions, that Varanasi Municipal Corporation is not the implementing agency for tapping of drainage or construction of STP being disposed in rivers at Varanasi. And further



also UP Jal Nigam (Rural) has sent a letter for setting up Advanced Oxidation Process through NamamiGange for the treatment of excess sewage falling in Assi Nala. Hence it is clear that Municipal Corporation Varanasi is not the implementing agency. Therefore, the compensation imposed on Municipal Corporation Varanasi is unfair, illegal and liable to be quashed. **ANNEXURE No. R12.**


17. That it is also important to mention here that Regional Officer S.C. Shukla has been putting undue pressure on the officials of Municipal Corporation, Varanasi for his personal works. One such case was where Regional Officer S.C. Shukla was continuously pressurizing Municipal Corporation officials to get cemented paver blocks (Cemented bricks) installed in an unauthorized colony, where he was residing. Due to not abiding to this illegal request, out of malice, Varanasi Municipal Corporation an illegal and baseless report was sent by him making the Municipal Corporation, Varanasi the responsible institution, which is against the law.

18. In light of the above submissions, it is most respectfully prayed that the U.P. Pollution Control Board may be directed to set-aside its order of imposing Environmental Compensation imposed on the Municipal Corporation, Varanasi and if the Hon'ble NGT thinks fit to issue directions to the concerned departments to take appropriate actions for tapping and treatment of sewage.




Municipal Commissioner
Municipal Corporation Varanasi

Filed Through:


(GAURAV AGARWAL)
Advocate, Supreme Court
GRV LEGAL
Advocates and Legal Consultants
O-703, Aditya Mega City, Vaibhav Khand,

Indirapuram Ghaziabad, U.P.-201014 (M) 8802911392

Vipul Shukla

(Vipul Shukla)

Advocate

UP 448 / 2015

G - 03, Tower No. 1, Experion Capital,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow
(M) 9936240111





21
NOTARY REGISTER
SL.No. 3925 Year 2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 367 OF 2022

IN THE MATTER OF :

RAJENDRA KUMAR GUPTAAPPLICANT
VERSUS
STATE OF U.P. AND ORS.RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Akshat Verma, aged about 34 years, Son of Sri R.P. Verma, Resident of A2, Commissioner's Compound Varanasi, do hereby state on solemn affirmation as under:-

That the deponent is the Municipal Commissioner, Nagar Nigam Varanasi arrayed as Respondent no. 6 in the present Original Application as such I am well conversant with the facts and circumstances of the present case and hence, competent to swear this affidavit.

2. That I have gone through the accompanying affidavit in and say that the contents there of are true and correct to my knowledge and belief and I believe the same to be true.
3. That the Annexures R-1 to R-12 to the Affidavit are true/translated copies of their respective originals.

Solemnly affirmed on this 15 day of October, 2024 at Varanasi

DEPONENT

VERIFICATION :

Verified at Varanasi, India, on this 15th day of October, 2024 that the contents of my above affidavit are true and correct to my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT



SWORN & VERIFIED
Vaibhav Naresht Gupta (Advocate)
NOTARY (Govt. of India)
Regd. No. 9486
Civil Courts Compound
Varanasi (U.P.) INDIA



ANNEXURE R-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. U.P.P.C.B./C-6/Sa-686/Recovery/Varanasi/2024

Dated. 18/09/24

Registered/Speed Post/E-Mail

To,

The Collector,
District-Varanasi.

Subject: Regarding collection/recovery of Environmental Compensation Imposed against
Varanasi Nagar Nigam, Varanasi.

Please refer to the attached office letter No-H13309/C-6/Sa-274/ N.N Varanasi/2024 dated 01.07.2024.

Hon'ble NGT vide order dated 04.04.2024 in O.A. No. 367/2022, in the matter of Rajendra Prasad Gupta Versus State of UP & Ors has passed the directions. The relevant excerpt of the aforesaid direction is as follows-

"5. Let the fresh action taken report be filed by the UPPCB indicating the remedial action as also the punitive action of imposition and recovery of EC on the defaulting person/body at least one week before the next date of hearing....."

In compliance of the above Hon'ble NGT order, the Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 01.07.2024 has imposed the Environmental Compensation of Rs. 6.90 crores against the authority concerned i.e. Municipal Commissioner, Varanasi Nagar Nigam, Varanasi for a default period of 01.07.2020 to 30.04.2024 for not setting up adequate sewage treatment plant for treatment of sewage which was being discharge river Ganga through different drains at District-Varanasi. As per the office record till date, the amount of the Environmental Compensation has not deposited by the Varanasi Nagar Nigam, Varanasi.

The sum of Rs. 6.90 Crores (Rupees Six Crore Ninety Lakhs only) is payable in account of Environmental Compensation from Varanasi Nagar Nigam, Varanasi.

The Name and Address of the authority concerned is as follows:-

1. Varanasi Nagar Nigam, Varanasi.

You are hereby requested to recover the same and deposit it into the account of the U.P. Pollution Control Board's through following link-

Payment Gateway-<https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution-Water Pollution

EC imposed in compliance-NGT Order

Enclosure-As above.

Yours Sincerely,

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

Copy to:-Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Varanasi for information and necessary action.

Member Secretary

T.C/12V, Vibhuti Khand Gombi Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in; web site: www.uppcb.com

4440

ADM PIR/...

408
G.M. Singh
19/09/24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.

1/3309

सी-6/

Dated

17/7/24

सेवा में

नगर आयुक्त,
वाराणसी नगर निगम,
वाराणसी।

मोबाइल नं-9580917520

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 की पृष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच.08847/सी0-6/सा0-274/न.नि. वाराणसी/2024 दिनांक 01.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2024 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसे पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया गया। डाक रसीद सी ट्रैक करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.04.2024 को प्राप्त हो गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 के सम्बन्ध में कोई उत्तर राज्य बोर्ड को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के सुसंगत अर्थ निम्नवत है-

".....5. Let the fresh action taken report be filed by the UPPCB indicating the remedial action as also the punitive action of imposition and recovery of EC on the defaulting person/body at least one week before the next date of hearing....."

उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 28.05.2024 के माध्यम से संस्तुति आख्या बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्यानुसार जनपद-वाराणसी स्थित अस्सी/नगवों ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 17.05.2024 को किया गया, जिसमें विवरण निम्नवत् पाया गया:-

क्रम सं0	नालो का नाम	टैप्ड/अनटैप्ड	शुद्धिकरण व्यवस्था का विवरण
1	नक्खा ड्रेन	पार्शियली टैप्ड	नक्खा ड्रेन, सामने घाट ड्रेन एवं अस्सी/नगवों ड्रेन से सीवेज को सीधे गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय अस्सी/नगवों ड्रेन से लगभग 50 एग0एल0डी0 सीवेज नगवों पम्पिंग स्टेशन से पम्प कर रमना स्थित एसटीपी के माध्यम से शुद्धिकरण हेतु ले जाया जा रहा था तथा लगभग 28 एग0एल0डी0 अशुद्धिकृत सीवेज गंगा नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया। पूर्व में अस्सी/नगवों ड्रेन से निस्तारित किये जा रहे सीवेज का शुद्धिकरण बायोरेगिडिएशन प्रक्रिया द्वारा जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी द्वारा किया जा रहा था। नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया किगत 15 दिन पूर्व बायोरेगिडिएशन ट्रीटमेंट व्यवस्था को हटा दिया गया है। निरीक्षण के समय गंगा नदी में नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन के माध्यम से अशुद्धिकृत सीवेज निस्तारित होता हुआ पाया गया तथा बायोरेगिडिएशन ट्रीटमेंट व्यवस्था भी हटा लिया गया था।
2	सामने घाट ड्रेन	पार्शियली टैप्ड	
3	अस्सी/नगवों ड्रेन	पार्शियली टैप्ड	

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

विशेषण के समय अस्सी नगवो ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन से लिए गये सीवेज, के नमूने की

Sl. No.	Location of Sampling point	Date of sample collection	Parameters					
			PH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	FC (MPN/ml)	EC (MPN/ml)
1	Assi Nagwa drain before meeting with River Ganga near Sant Navidas Park, Nagwa, Varanasi	17.05.2024	7.34	104	416	212	460000	210000
2	Nakha drain before meeting with River Ganga, Varanasi	17.05.2024	7.41	98	284	148	150000	70000
3	Sanne Ghat drain before meeting with River Ganga Sanne Ghat, Varanasi	17.05.2024	7.21	112	430	206	220000	130000
Standards			5.5 - 9.0	30	250	100	.	<1000

उपरोक्त नमूने की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि अस्सी/नगवो ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन से निस्सारित हो रहे उत्सवाह की गुणता निर्धारित मानको से अधिक है तथा उक्त ड्रेन से गंगा नदी में निस्सारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्सवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में गोजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैंड/पार्शियली टैंड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्सारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्सवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से माह जुलाई, 2020 से माह अप्रैल, 2024 तक कुल उत्सघनकारी 46 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 6.90 करोड़ अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति को दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 की पुष्टि करते हुये वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध उत्सघनकारी 46 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 रू0 6.90 करोड़ (रू0 छः करोड़ नब्बे लाख मात्र) अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- NGT Order

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

25

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H/13309 / सी-6/सा0-274/न.नि. वाराणसी/2024

Dated 17/7/24
ई-मेल/पंजीकृत

सेवा में,
नगर आयुक्त,
वाराणसी नगर निगम,
वाराणसी।

नगर आयुक्त (आर)
संख्या 1037
दिनांक 11.07.24
नगर निगम वाराणसी
मोबाइल नं- 9580817520

नगर आयुक्त कार्यालय
संख्या 1663-6
दिनांक 15/07/24
विनांक 8/7/24
नं0445/11/24

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैड/पार्शियली टैड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच.08847/सी0-6/सा0-274/न.नि. वाराणसी/2024 दिनांक 01.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैड/पार्शियली टैड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2024 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसे पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया गया। डाक रसीद सी ट्रैक करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.04.2024 को प्राप्त हो गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 के सम्बन्ध में कोई उत्तर राज्य बोर्ड को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है-

".....5. Let the fresh action taken report be filed by the UPPCB indicating the remedial action as also the punitive action of imposition and recovery of EC on the defaulting person/body at least one week before the next date of hearing....."

उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 28.05.2024 के माध्यम से संस्तुति आख्या बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्यानुसार जनपद-वाराणसी स्थित अस्सी/नगवों ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 17.05.2024 को किया गया, जिसमें विवरण निम्नवत् पाया गया:-

क्रम सं०	नालों का नाम	टैड/अनटैड	शुद्धिकरण व्यवस्था का विवरण
1	नक्खा ड्रेन	पार्शियली टैड	नक्खा ड्रेन, सामने घाट ड्रेन एवं अस्सी/नगवों ड्रेन से सीवेज को सीधे गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय अस्सी/नगवों ड्रेन से लगभग 50 एम0एल0डी0 सीवेज नगवों पम्पिंग स्टेशन से पम्प कर रमना स्थित एसटीपी के माध्यम से शुद्धिकरण हेतु ले जाया जा रहा था तथा लगभग 28 एम0एल0डी0 अशुद्धीकृत सीवेज गंगा नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया। पूर्व में अस्सी/नगवों ड्रेन से निस्तारित किये जा रहे सीवेज का शुद्धिकरण बायोरेमिडिएशन प्रक्रिया द्वारा जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी द्वारा किया जा रहा था। नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया विगत 15 दिन पूर्व बायोरेमिडिएशन ट्रीटमेंट व्यवस्था को हटा दिया गया है। निरीक्षण के समय गंगा नदी में नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन के माध्यम से अशुद्धीकृत सीवेज निस्तारित होता हुआ पाया गया तथा बायोरेमिडिएशन ट्रीटमेंट व्यवस्था भी हटा लिया गया था।
2	सामने घाट ड्रेन	पार्शियली टैड	
3	अस्सी/नगवों ड्रेन	पार्शियली टैड	

Additional
नगर आयुक्त
नगर निगम
वाराणसी

HOD (AR)
Amce

निरीक्षण के समय अस्सी/नगवों ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन से लिए गये सीवेज के नमू की विश्लेषण आख्या निम्नवत है:-

Sl. No.	Location of Sampling point	Date of sample collection	Parameters					
			pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	TC (MPN/ml)	FC (MPN/ml)
1	Assi/Nagwa drain before meeting with River Ganga near Sant Ravidas Park, Nagwa, Varanasi	17.05.2024	7.34	104	416	212	460000	210000
2	Nakkha drain before meeting with River Ganga, Varanasi.	17.05.2024	7.41	48	284	148	150000	70000
3	Samne Ghat drain before meeting with River Ganga Samne Ghat, Varanasi	17.05.2024	7.21	112	430	206	220000	130000
Standards			5.5 - 9.0	30	250	100	-	<1000

उपरोक्त नमूनों की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि अस्सी/नगवों ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानको से अधिक है तथा उक्त ड्रेन से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से माह जुलाई, 2020 से माह अप्रैल, 2024 तक कुल उल्लंघनकारी 46 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 6.90 करोड़ अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति को दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 की पुष्टि करते हुये वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध उल्लंघनकारी 46 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 रू0 6.90 करोड़ (रू0 छः करोड़ नब्बे लाख मात्र) अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/Uppcb>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- NGT Order

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

संख्या 1145-6

दिनांक 05/11/24

नगर निगम वाराणसी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

सेवा में,

नगर आयुक्त,
वाराणसी नगर निगम,
जनपद-वाराणसी।

क्र.सं. 95808/7520

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के पत्रांक 174/एन०जी०टी० ओ०ए० सं० 367/2022/286/2024-25 दिनांक 16.05.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्या द्वारा अवगत कराया गया है कि निम्नलिखित ड्रेन्स से जनित अशोधित सीवेज गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं.	ड्रेन का नाम
1.	Saiyar Mata Mandir Drain, Varanasi
2.	Ghatwari Mata Mandir Drain, Varanasi

नाइगर आयुक्त कि नगर विकास अनुभाग-1, उ०प्र० शासन की अधिसूचना दिनांक 10.11.2022 के माध्यम से वाराणसी के क्षेत्र का विस्तारीकरण (90 वार्ड से 100 वार्ड होने पर) के पश्चात नगर पंचायत, सूजाबाद को सम्मिलित करते हुये नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.11.2022 से उष्णकटिबंधी वर्षणित ड्रेन्स वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् है-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

1. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

कृ०पृ०उ०

T.C./12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

(2)

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 16.05.2024 के माध्यम से वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 10.11.2022 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त वाराणसी नगर निगम वाराणसी द्वारा नगर आयुक्त के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों (यथा- सायर माता मंदिर ड्रेन एवं घटवारी माता मंदिर ड्रेन) से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 10.11.2022 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये ?

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन की अवधि में बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम वाराणसी को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 1/33/10

सी.ए. अ. नं. 11/07/24

Dated 1-7-24

सेवा में
नगर आयुक्त,
वाराणसी नगर निगम,
वाराणसी।

पत्रांक 11.07.24
नगर निगम, वाराणसी
मोबाइल नं- 9580817520

ई-मेल/पंजीकृत
सांख्यिक 1662-9
दिनांक 08/7/24
नगर निगम वाराणसी

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैड/पार्शियली टैड नालों के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.04.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच.09677/सी0-6/सा0-815/ओए नं0-483/2024 दिनांक 19.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैड/पार्शियली टैड नालों के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19.04.2024 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.04.2024 के सम्बन्ध में कोई उत्तर राज्य बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेड ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है-

".....5. Let the fresh action taken report be filed by the UPPCB indicating the remedial action as also the punitive action of imposition and recovery of EC on the defaulting person/body at least one week before the next date of hearing....."

उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 29.05.2024 के माध्यम से संस्तुति आख्या बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्यानुसार जनपद-वाराणसी स्थित तेलियाबाद ड्रेन, नरोखर ड्रेन एवं चमरौठा ड्रेन का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 15.05.2024 को किया गया, जिसमें विवरण निम्नवत् पाया गया:-

क्रम सं0	नालों का नाम	टैड/अनटैड	शुद्धिकरण-व्यवस्था का विवरण
1	तेलियाबाद ड्रेन	पार्शियली टैड	निरीक्षण के समय अनट्रीटेड सीवेज का आंशिक भाग/ओवर फ्लो वरुणा नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनट्रीटेड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, एस0एस0 एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।
	नरोखर ड्रेन	पार्शियली टैड	निरीक्षण के समय अनट्रीटेड सीवेज का आंशिक भाग/ओवर फ्लो वरुणा नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनट्रीटेड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, एस0एस0 एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।
	चमरौठा ड्रेन	अनटैड	निरीक्षण के समय अनट्रीटेड सीवेज सीधे वरुणा नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया। उक्त ड्रेन को निरीक्षण की तिथि तक टैड नहीं किया गया था। है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनट्रीटेड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, एस0एस0 एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।

नगर आयुक्त
नगर निगम
वाराणसी

निरीक्षण के समय तेलियाबाद ड्रेन, नरोखर ड्रेन एवं चमरौठा ड्रेन से लिए गये सीवेज के नमूने की विश्लेषण आख्या निम्नवत् है:-

Sl. No.	Location of Sampling point	Untapped/ Partially Tapped	Date of sample collection	Parameters				
				pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	FC (MPN/100 ml)
1	Teliabagh Drain, Varanasi	Partially Tapped	15.05.2024	7.26	106	398	184	17,00,000
2	Narolchar Drain, Varanasi	Partially Tapped	15.05.2024	7.19	118	436	216	14,00,000
3	Chamrautha Drain, Varanasi	Untapped	15.05.2024	7.30	112	410	234	13,00,000

उपरोक्त नमूनों की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि तेलियाबाद ड्रेन, नरोखर ड्रेन एवं चमरौठा ड्रेन से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानको से अधिक है तथा उक्त ड्रेन से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से माह जुलाई, 2020 से माह अप्रैल, 2024 तक कुल उल्लंघनकारी 46 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 6.90 करोड़ अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।


अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति को दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.04.2024 की पुष्टि करते हुये वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध उल्लंघनकारी 46 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 6.90 करोड़ (रू0 छः करोड़ नब्बे लाख मात्र) अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/Uppcb>

Nature of Pollution- Water Pollution


EC imposed in compliance- NGT Order

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 13307

सी-6/सां-876/सां-2024
कार्यालय अवर नगर आयुक्त (अंश) सुरक्षा समिति/2024

Dated 1-7-24
ई-मेल/पंजीकृत

सेवा में,

नगर आयुक्त,
वाराणसी नगर निगम, नगर निगम, वाराणसी
पंख्या 1036
दिनांक 11.07.24
मोबाइल नं- 9415931407
9480817526

नगर आयुक्त कार्यालय
संख्या 664-9, 240444/24
दिनांक 8/7/24 15/07/24
नगर निगम, वाराणसी

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नाले के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 10.11.2022 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांकएच.09451/सी0-6/सा0-876/2024 दिनांक 13.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नाले यथा दुर्गा ड्रेन के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 13.04.2024 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था तथा उक्त कारण बताओ नोटिस को राज्य बोर्ड की ई-मेल दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से आपको प्रेषित कर दिया गया था, परन्तु उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2024 के सम्बन्ध में कोई उत्तर राज्य बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है।
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है-

".....5. Let the fresh action taken report be filed by the UPPCB indicating the remedial action as also the punitive action of imposition and recovery of EC on the defaulting person/body at least one week before the next date of hearing....."

उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 29.05.2024 के माध्यम से संस्तुति आख्या बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्यानुसार जनपद-वाराणसी स्थित दुर्गा ड्रेन का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 15.05.2024 को किया गया, जिसमें विवरण निम्नवत पाया गया:-

क्रमांक	जाली का नाम	टैप्ड	शुद्धिकरण व्यवस्था का विवरण
	दुर्गा ड्रेन	अनटैप्ड	निरीक्षण के समय अनटैप्ड सीवेज वरुणा नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनटैप्ड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार शोधित सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, एस0एस0 एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।

निरीक्षण के समय दुर्गा ड्रेन से लिए गये सीवेज के नमूने की विश्लेषण आख्या निम्नवत है:-

Sl. No.	Location of Sampling point	Untapped/Partially Tapped	Date of sample collection	Parameters					
				pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	TC (MPN/100 ml)	FC (MPN/100 ml)
1	Drain confluence with River Varuna near Phulpur, Varanasi	Untapped	15.05.2024	7.21	126	440	286	27,00,000	17,00,000

T C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उपरोक्त नमूने की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि दुर्गा ड्रेन से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह की गुणवत्ता निर्धारित मानको से अधिक है तथा उक्त ड्रेन से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उ०प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा अधिसूचना संख्या 3474/9-1-2022-55 परि०/22 लखनऊ, दिनांक 10.11.2022 के अनुसार वार्ड नम्बर 4, फुलवरिया के रूप में नगर निगम, वाराणसी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। उक्त अधिसूचना दिनांक 10.11.2022 से प्रभावी है। दुर्गा ड्रेन, फुलवरिया वार्ड के अन्तर्गत वरुणा नदी में मिलती है।

उक्त के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नाले यथा दुर्गा ड्रेन के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 10.11.2022 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर हेतु दिनांक 10.11.2022 से माह अप्रैल, 2024 तक कुल उल्लंघनकारी 17.2 माह हेतु, ₹० 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ₹० 86.0 लाख अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित दुर्गा ड्रेन के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 10.11.2022 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से दिनांक 10.11.2022 से माह अप्रैल, 2024 तक कुल उल्लंघनकारी 17.2 माह हेतु ₹० 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ₹० 85.33 लाख अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति को दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2024 की पुष्टि करते हुये नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध उल्लंघनकारी 17.2 माह हेतु ₹० 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ₹० 85.33 लाख (₹० पच्चासी लाख तैतिस हजार मात्र) अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित **Payment Gateway** एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/Uppcb>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- NGT Order

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त-6)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H.A. 8.047 / सी-6 / सी. 274 / न. 10 / ल. 2024

Dated 01-04-24

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
वाराणसी।

कार्यालय अपर नगर आयुक्त (आर)
संख्या 36
दिनांक 04.04.24

नगर आयुक्त (आर)
संख्या 46-6
दिनांक 04.04.24

क्र. 9580817520

नगर निगम, वाराणसी

यह कि भाननीय एनजीटी में विचाराधीन ओए संख्या 367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता वनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है, का अवलोकन करने का कष्ट करें:-

".....5. No response on behalf of the UPPCB in this regard has been placed on record and Learned Counsel appearing for UPPCB also does not have any instructions on the above issues.

6. Learned Counsel seeks four week's time to place on record the response of the UPPCB. He has submitted that the action against the defaulting body will be taken and EC will be imposed within four weeks. Hence, let the fresh action taken report be filed by the UPPCB at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

यह कि गंगा नदी में निस्तारित हो रहे सीवेज के संबंध में नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित नालों का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के कार्मिकों द्वारा दिनांक 18.03.2024 को किया गया तथा निरीक्षण आख्या के अनुसार विवरण निम्नवत् पाया गया है :-

क्रम संख्या	नालों का नाम	टैप/अनटैप	शुद्धीकरण व्यवस्था का विवरण	उत्तरदायी संस्था
1	नक्खा ड्रेन	पार्शियली टैप	50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, रमना (नक्खा ड्रेन, सामने घाट ड्रेन एवं असि/नगवाँ ड्रेन से सीवेज को बायोरेमिडिएशन के पश्चात् गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे बायोरेमिडिएशन के पश्चात् जनित शुद्धीकृत बहिस्साय के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्या संलग्न है। संलग्न विश्लेषण आख्यानुसार शुद्धीकृत बहिस्साय के नमूने में बी0ओ0डी0, टी0एस0एस0, टोटल कॉलीफार्म एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।)	नगर निगम, वाराणसी
2	सामने घाट ड्रेन	पार्शियली टैप		नगर निगम, वाराणसी
3	असि/नगवाँ ड्रेन	पार्शियली टैप		नगर निगम, वाराणसी
4	शिवाला ड्रेन	टैप	80 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, दीनापुर	नगर निगम, वाराणसी
5	हरिश्चन्द्र घाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
6	मानसरोवर घाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
7	पाण्डेय घाटर ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
8	डी0 आर0पी0 घाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
9	मीरघाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
10	ललिता घाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
11	जलारोन घाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
12	मणिकर्णिका घाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
13	संकटा घाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
14	मेहता घाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
15	रागघाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
16	पंच गंगा घाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
17	ब्रह्मा घाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
18	लालघाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
19	त्रिलोचन घाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
20	तेलिया ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
21	गैंसासूर घाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी
22	राज घाट ड्रेन	टैप		नगर निगम, वाराणसी

23	राज घाट आउटरफ्लो	टैड	80 एम०एल०डी० / 140 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, दीनापुर	नगर निगम, वाराणसी
24	रामशम घाट ड्रेन	टैड	10 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, रामनगर	नगर निगम, वाराणसी
25	बलुआ घाट ड्रेन	टैड		नगर निगम, वाराणसी
26	शक्ति घाट ड्रेन	टैड		नगर निगम, वाराणसी
27	सलोहरी घाट ड्रेन	टैड		नगर निगम, वाराणसी
28	इन्डुमान घाट ड्रेन	टैड		नगर निगम, वाराणसी

यह कि निरीक्षण के समय एवं पूर्व में उपरोक्त वर्णित नाले द्वारा निस्तारित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय प्रयोगशाला, वाराणसी में विश्लेषित कराया गया, विश्लेषण आख्या के अनुसार परिणाम निम्नवत्

Sl. No.	Location of Sampling point	Date of sample collection	Parameters					
			pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	TC (MPN/ml)	FC (MPN/ml)
1	Assi/Nagwa drain after bioremediation before meeting with River Ganga near Sant Ravidas Park, Nagwa, Varanasi	18.03.2024	7.38	40	188	120	1.2 x 10 ⁵	8.4 x 10 ⁴
		09.01.2024	7.31	38	180	116	1.4 x 10 ⁵	9.4 x 10 ⁴
2	Nakkha drain after bioremediation before meeting with River Ganga near Judges Guest House, Bhagwanpur, Varanasi.	18.03.2024	7.32	46	214	132	1.4 x 10 ⁵	9.4 x 10 ⁴
		30.01.2024	7.36	44	210	128	1.3 x 10 ⁵	1.1 x 10 ⁵
3	Samne Ghat drain, after bioremediation before meeting with River Ganga Samne Ghat, Nagwa, Lanka, Varanasi	18.03.2024	7.24	42	204	126	1.3 x 10 ⁵	1.1 x 10 ⁵
		02.02.2024	7.33	40	198	118	1.1 x 10 ⁵	7.9 x 10 ⁴

यह कि माननीय एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य प्रति यूनिन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के बिन्दु सं०-08 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-
".....8. Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

47. We now sum up our directions as follows:

- 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.
- Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of यह कि वर्तमान में उपरोक्त रामयसीमा के परिप्रेक्ष्य में ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनिन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुसार प्रति ड्रेन/माह रूपये 5.0 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ड्रेन से संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा दिनांक 01.07.2020 से देय है।

यह कि आप द्वारा नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित उपरोक्त वर्णित 03 नालों से गंगा नदी में मानकों से अधिक निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नही की गयी है।


यह कि उपरोक्त वर्णित विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि गंगा नदी में हो रहे उत्प्रवाह में प्रचालकों मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा उत्तरदायी निकाय यथा नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उत्तरदायी निकाय यथा नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित नालों से गंगा नदी में मानकों से अधिक निस्तारित हो रहें उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से प्रति ड्रेन/माह रूपये 5.0 लाख की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।


उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से प्रति ड्रेन/माह रूपये 5.0 लाख की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपके निकाय/निगम का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(पृत्त-6)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, प्लॉट नं०-18, सेक्टर-7, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्गत निर्देश की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(पृत्त-6)



↓



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
भगवानपुर, वाराणसी-221005

दिनांक 31/07/2024

पत्रांक 660 / 25/07/2024 / 04
सेवा में

अपर नगर आयुक्त (आर),
नगर निगम,
वाराणसी।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक 165/1/अ0न0आ0 (R)/2024-25 दिनांक 29.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के अनुपालन में उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) एवं उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की संयुक्त आख्या संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आशीष कुमार सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
2. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-प्रथम, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), वाराणसी।

परियोजना प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड(प्रथम),
बी.एच.यू. एस.टी.पी. परिसर, भगवानपुर, लंका, वाराणसी-221005

पत्रांक /

दिनांक

लेग में

मुख्य अभियंता(नगर),
उ०प्र० जल निगम(नगरीय),
6-राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

नहोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के अनुपालन में निर्माण खण्ड(प्रथम), उ०प्र० जल निगम(नगरीय), वाराणसी एवं गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी की संयुक्त आख्या सलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
सलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(कमल सिंह)
अधिशासी अभियंता

पुस० 1702/

मि-08

/70

दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियंता(प्रयाग०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(नगरीय), प्रयागराज।
2. अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), वाराणसी।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।?
5. परिष्कार प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) वाराणसी।



अधिशासी अभियंता

माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 को अनुपालन में उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की संयुक्त आख्या-

बिन्तु सं० 04:-

असि नदी में वर्तमान में पूर्णतया घरेलू सीवेज निस्तारित हो रहा है, जिसका वर्तमान डिस्चार्ज लगभग 78 एम०एल०डी० है। 50 एम०एल०डी० सीवेज को डायवर्ट कर रमना स्थित 50 एम०एल०डी० एस०टी०पी० में शोधित किया जा रहा है। शेष लगभग 28 एम०एल०डी० के शुद्धीकरण हेतु भगवानपुर में 55 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० के निर्माण की स्वीकृति एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गयी है, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर मेसर्स इन्वायरो इन्फ्रा प्रा०लि०, नई दिल्ली को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत कर दिया गया है। कार्य प्रारम्भ की तिथि 07.03.2024 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 06.12.2025 है। वर्तमान में कार्यस्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है, जिसकी भौतिक प्रगति 5% है। उपरोक्त वर्णित 28 एम०एल०डी० के श्राव के शोधन हेतु जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी द्वारा वर्ष 2021 से बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा था एवं एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली द्वारा अतिरिक्त डिस्चार्ज के ऑन साइट शोधन व्यवस्था हेतु एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस की स्वीकृत परियोजना के माह मई 2024 में क्रियाशील होने के उपरान्त बायोरेमिडिएशन कार्य बन्द कर दिया गया है। एन०एम०सी०जी० द्वारा स्वीकृत एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के शोधन के मानक निम्नानुसार है-

मानक	इनलेट	आउटलेट
बी०ओ०डी० (मि०ग्रा०/ली०)	100	30
टी०एस०एस० (मि०ग्रा०/ली०)	100	50
सी०ओ०डी० (मि०ग्रा०/ली०)	160	100
फीकल कालीफार्म (MPN/100 ml)	10 ⁷	230

उपरोक्त स्थापित शोधन संयंत्र हेतु उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को सुपरवाइजरी एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है एवं आई०आई०टी०, बी०एच०यू० को साप्ताहिक सैम्पल एकत्र एवं पैरामीटर्स की जाँच हेतु नियुक्त किया गया है (प्रति संलग्न)। आई०आई०टी० बी०एच०यू० द्वारा की गयी सैम्पलिंग की रिपोर्ट संलग्न है। नालों की टैपिंग के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति पत्रांक 57/एन०जी०टी० 01 दिनांक 20.01.2024 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।

बिन्दु सं० 05:-

वरुणा नदी में नगर निगम सीमा से कुल 14 नग नाले निस्तारित हो रहे हैं। नगर निगम सीमा के विस्तार के उपरान्त 01 नग नाला (दुर्गा नाला) जिसका कुल डिस्चार्ज 37 एम०एल०डी० है, नगर निगम सीमा में सम्मिलित हुआ है। इस प्रकार कुल 15 नग नाले वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे हैं। उपरोक्त नालों में से 13 नग नाले को सिंचाई विभाग द्वारा इन्टरसेप्टर सीवर के माध्यम से टैप किया गया था। वर्तमान में अधिकांश नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं। अवशेष नाले यथा दुर्गा नाला में प्रवाहित हो रहे सीवेज की रोकथाम हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 55 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० निमाण की परियोजना का डी०पी०आर० माह अप्रैल 2022 में स्वीकृति हेतु एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था, जिसकी वर्तमान तक स्वीकृति अपेक्षित है एवं नरोखर नाले में वर्तमान में पार्शियली टैप है एवं इसी नाले के अपस्ट्रीम में 120 एम०एल०डी० एस०टी०पी० गोइठहां का शोधित अवजल प्रवाहित होता है, जिसके कारण उक्त नाले की पूर्ण टैपिंग सम्भव नहीं है। पूर्ण टैपिंग हेतु उ०प्र० जल निगम (नगरीय), वाराणसी द्वारा अतिरिक्त एपलूएन्ट पाइप लाइन बिछाये जाने के प्रेषित किये गये पी०एफ०आर० की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है (प्रति संलग्न), जिसका डी०पी०आर० अतिशीघ्र प्रेषित कर दिया जायेगा। वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों एवं सिंचाई विभाग द्वारा टैप किये गये नालों के ओवरफ्लो के निराकरण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2024 को आहूत बैठक में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। उक्त कमेटी ने दिनांक 03.04.2024 को कार्य स्थल का निरीक्षण एवं समस्त संबंधित के साथ बैठक की गयी थी। तत्पश्चात पुनः दिनांक 09.04.2024 को मुख्य राचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं:-

क्र. सं.	कार्यवाही का बिन्दु	बैठक में दिये गये निर्देश	कार्यवाही किये जाने वाले संबंधित विभाग
1	वरुणा नदी के किनारे पूर्व में स्थापित इन्टरसेप्टर सीवर लाइन/पैन्स की मरम्मत व डिजिटलिंग का कार्य किये जाने के संबंध में।	<p>वरुणा नदी के किनारे बने इन्टरसेप्टर पैन्स, जो प्रायः गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण पानी में डूब जाते हैं, जिससे इन्टरसेप्टर सीवर लाइन में अत्यधिक सिल्ट जमा हो जाता है। उक्त के निम्न निर्देश दिये गये हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> यू० पी० पी० सी० एल० द्वारा तकनीकी जांच कराते हुए इन्टरसेप्टर पैन्स को नाले के अपस्ट्रीम में सिफ्ट किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे इन्टरसेप्टर सीवर लाइन में सिल्टिंग न हो पूर्व में स्थापित इन्टरसेप्टर सीवर लाइन में बने पैन्स में वरुणा नदी का पानी बँकफ्लो हो जाता है। उक्त ओवरफ्लो के कारणों की तकनीकी जांच कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा ओवरफ्लो को रोकने हेतु बनाये गये डक्ट को बन्द करने एवं पैन्स को रिडिजाईन करने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। <p>पूर्व में बिछाई गयी इन्टरसेप्टर सीवर लाइन को यू० पी० पी० सी० एल० द्वारा सर्वे तथा तकनीकी</p>	<ul style="list-style-type: none"> प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

		परीक्षण करने के उपरान्त आवश्यक परम्पत व डिसिल्टिंग का कार्य समयवद्ध तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित किये जाए ताकि इन्टरसेप्टर सीवर लाइन भविष्य में पुनः सिल्टिंग के कारण निष्प्रयोज्य न हो। उक्त कार्य में होने वाले व्यय का आगणन बनाकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से धनराशि प्राप्त करने के संबंध में भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	
2	वरुणा नदी में प्रवाहित होने वाले नालों की टैपिंग एवं एस 0 टी 0 पी 0 निर्माण कराये जाने के संबंध में।	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) एवं ननानि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग (एन 0 एम 0 सी 0 जी 0) द्वारा 80 एनएलडी दोनापुर एसटीपी एवं कोनिया एपीएन को 220 एनएलडी क्षमता पर अपग्रेड किया जाये, उक्त अतिरिक्त दुर्गा नाले की टैपिंग एवं लोहता में 55 एनएलडी क्षमता के एसटीपी निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। विषयगत प्रकरण में वरुणा नदी में प्रवाहित 13 नालों के अतिरिक्त शेष नालों के टैपिंग की भी कार्यवाही करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई अशोधित जल वरुणा नदी में सीधे प्रवाहित न हो।	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, ननानि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
3	वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इन्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एसटीपी एवं दोनापुर एसटीपी द्वारा विचार किया जाये। पर डायवर्जन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में।	उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इन्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एसटीपी एवं दोनापुर एसटीपी पर डायवर्जन की कार्यवाही की जाये। उक्त कार्य हेतु अपेक्षित धनराशि अनूत/राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधानित धनराशि से कराये जाने पर संबंधित विभाग द्वारा विचार किया जाये।	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ
4	प्रस्तावित कार्यों के समन्वय एवं हस्तान्तरण के संबंध में।	विषयगत प्रकरण से संबंधित कार्यों का समन्वय आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा तीनों विभाग यथा-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) एवं ननानि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से नियमित अनुभवण किया जायेगा। नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा उक्त कार्यों में अपेक्षित सहयोग तथा समन्वय प्रदान किया जाए। साथ ही आयुक्त, वाराणसी मण्डल द्वारा उपर्युक्त योजनांतर्गत बनाये गये विभिन्न	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग • प्रमुख सचिव, ननानि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

SL

A

W

	निर्माण कार्य को पूर्ण करने के उपरान्त नगर निगम, वाराणसी को उस्तान्तरित करने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।	विभाग • आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ • नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी
5	वरुणा नदी में जल जमाव से उत्पन्न मच्छरों की समस्या से निजात जमाव से उत्पन्न हेतु सिंचाई विभाग द्वारा वरुणा नदी में अतिरिक्त जल छोड़े जाने के समस्याओं के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	• प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि


- उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा दीनापुर में स्थित 80 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० का 220 एम०एल०डी० क्षमता पर उच्चीकरण हेतु डी०पी०आर० विरचित कर एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को दिनांक 14.07.2024 को प्रेषित किया गया है।
- उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा दुर्गा ड्रेन में प्रवाहित हो रहे सीवेज के शोधन हेतु एस०टी०पी० के निर्माण कार्य का डी०पी०आर० माह अप्रैल 2022 में विरचित कर स्वीकृति हेतु एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था, जिस पर वर्तमान तक स्वीकृति अपेक्षित है।
- उ०प्र० जल निगम (नगरीय), वाराणसी द्वारा सिंचाई विभाग द्वारा बिछाये गये इन्टरसेप्टर सीवर हेतु वरुणा नदी के दोनों छोर पर सीवेज पम्पिंग स्टेशन बनाये जाने हेतु पी०एफ०आर० का गठन किया गया था, जिसकी शासन द्वारा सैधान्तिक सहमति प्रदान कर दी गयी है (प्रति संलग्न)। वर्तमान में पम्पिंग स्टेशन हेतु भूमि की उपलब्धता हेतु प्रयास किया जा रहा है, भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त लगभग 01 माह में डी०पी०आर० का गठन कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा सकेगा।


बिन्दु सं० 06:-

वर्तमान में वाराणसी नगर में रीवेज शोधन हेतु निम्नानुसार एस०टी०पी० निर्माणाधीन / स्वीकृत / प्रस्तावित है-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कार्यकारी संस्था	एस०टी०पी० की क्षमता	अद्यतन स्थिति	टिप्पणी
01	55 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, भगवानपुर	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)	55 एम०एल०डी०	निर्माणाधीन	परियोजना की कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 07.03.2024 एवं पूर्ण होने की 08.12.2025 है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। परियोजना की भौतिक प्रगति 5.0 प्रतिशत है।
02	आई एण्ड डी० एवं एस०टी०पी० वर्क्स एट दुर्गा नाला	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)	55 एम०एल०डी०	स्वीकृति अपेक्षित	परियोजना का डी०पी०आर० नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत माह अप्रैल 2022 में एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था। वर्तमान तक स्वीकृति अपेक्षित है। परियोजना की स्वीकृति एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना के कार्य 24 माह में पूर्ण कराये जाना प्रस्तावित है।
03	80 एम०एल०डी० एस०टी०पी० दीनापुर की 220 एम०एल०डी० की क्षमता वृद्धि की परियोजना।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)	220 एम०एल०डी०	प्रस्तावित	परियोजना का डी०पी०आर० नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 14.07.2024 में एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। परियोजना की स्वीकृति एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना के कार्य 30 माह में पूर्ण कराये जाना प्रस्तावित है।
04	07 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सुजाबाद	उ०प्र० जल निगम (नगरीय)	07 एम०एल०डी०	निविदा प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने में लगभग 1.5 माह का समय लगना अनुमानित है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना के अन्तर्गत कार्य को 21 माह में पूर्ण कराये जाना प्रस्तावित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


(क्रमेश सिंह)
अधिसासी अधियन्ता
निर्माण खण्ड (प्रथम)
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
वाराणसी।


21/02/2024
(अंशु कुमार सिंह)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
वाराणसी।
परियोजना प्रबन्धक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

ANNEXURE R-3

माह राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली में योजित जोरिजनुस एप्लीकेशन रोडमा-483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम सेट ऑफ यूएपीओ में पारित आवेदन दिनांक-26.04.2024 के अनुपालन में जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी की आख्या:-

विन्दु रोडमा-04

अरसी नदी में वर्तमान में पूर्णतया घरेलू सीवेज निरन्तरित हो रहा है, जिसका वर्तमान में डिस्चार्ज लगभग 78 एम०एल०डी० है। 50 एम०एल०डी० सीवेज को ज्वायंट फर रग्ना स्थित 50 एम०एल०डी० एस०टी०पी० में शोधित किया जा रहा है। श्री आशीष कुमार सिंह परियोजना प्रबंधक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, 30 प्र० जल निगम ग्राणीय व श्री कमल सिंह अभिशासो अभियन्ता निर्माण खण्ड (प्रथम) 30 प्र० जल निगम (नगरीय) की संयुक्त आख्यानुरार शेष लगभग 28 एम०एल०डी० के शुद्धीकरण हेतु भगवानपुर में 55 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० के निर्माण की स्वीकृति एन०एम०सी०जी० नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गयी है, जिसकी निविद पूर्ण कर मेसर्स इन्वायरो इन्फ्रा प्रा०लि० नई दिल्ली को सेटर ऑफ एवार्ड निर्गत कर दिया गया है। कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 07.03.2024 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 06.12.2025 है। वर्तमान में कार्य स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है, जिसकी भौतिक प्रगति 5 प्रतिशत है। उपरोक्त वर्णित 28 एम०एल०डी० के श्राव के शोधन हेतु जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी द्वारा वर्ष 2021 से बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा था एवं एन०एम०सी०जी० नई दिल्ली द्वारा अतिरिक्त डिस्चार्ज के आन साइट शोधन व्यवस्था हेतु एडवांस आक्सिडेशन प्रोसेस की स्वीकृति परियोजना परियोजना के माह मई 2024 में क्रियारशील होने के उपरान्त बायोरेमिडिएशन कार्य बंद करा दिया गया है। (आख्या संलान)

नक्खा ड्रेन आंशिक रूप से टैण्ड है इसका पूर्णतः इन्टरसेपान एवं डायवर्जन, 30 प्र० जल निगम ग्राणीय द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। उक्त नाले में भगवानपुर स्थित 9.8 एम०एल०डी० का शोधित उत्प्रवाह भी प्रवाहित होता है वर्तमान में उक्त नाले में लगभग 5 एम०एल०डी० सीवेज प्रवाहित होता है जिसका बायोरेमिडिएशन पद्धति द्वारा शोधन किया जा रहा है।

सामनेघाट प्रवाहित सीवेज का इन्टरसेपान एवं डायवर्जन कर एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली द्वारा पोषित जायका सहायित गंगा एक्शन प्लान फेज-11 परियोजना के अन्तर्गत इन्टरसेपान, डायवर्जन एवं ग्रेविटी सीवर पाइप लाइन के माध्यम से ट्रामा सेन्टर स्थित सीवेज लिफ्ट स्टेशन द्वारा वर्ष 2021 से संचालित रग्ना स्थित 50 एम०एल०डी० एस०टी०पी० पर शोधन किया जाता है। उक्त इन्टरसेपान डायवर्जन के उपरान्त उपरोक्त नाला पूर्ण रूप से टैण्ड है। माह मार्च 2024 में उपरोक्त वर्णित ग्रेविटी सीवर पाइप लाइन में चोक हो जाने के दृष्टिगत गंगा नदी में अशोधित सीवेज को प्रवाहित होने से रोकने के दृष्टिगत जलकल विभाग द्वारा बायोरेमिडिएशन पद्धति से शोधन कराया जा रहा था। उक्त पाइप लाइन में उत्पन्न चोकेज की समस्या के समाधान के उपरान्त वर्तमान में कोई अशोधित सीवेज गंगा नदी में नहीं प्रवाहित हो रहा है।

(ओ०पी० सिंह) 22/4/24

सचिव,

जलकल विभाग

नगर निगम वाराणसी।

AC/481

(विजय नारायण मीरा)

महा प्रबन्धक

जलकल विभाग

नगर निगम वाराणसी।

ANNEXURE R-4

**COMBINED REPORT OF UPJN(URBAN/RURAL) AND JALKAL VIBHAG, VNN IN COMPLIANCE OF
ORDER PASSED BY HON'BLE NGT ON 16.07.2024 IN THE MATTER OF OA No. 367/2022 RAJENDRA
PRASAD GUPTA VS STATE OF UTTAR PRADESH**

S.N.	Name of Drains	Flow (MLD)	Status	Tapped Flow (MLD)	Remarks
1	Assi/ Nagawan Drain	78.0	Partially Tapped	50	Present flow in Assi/Nagwa drain is about 78 MLD. Around 50 MLD is being treated at 50 MLD STP Ramna and for balance 28 MLD excess quantity of sewage, construction of 55 MLD STP at Bhagwanpur is in progress and is proposed to be completed by December 2025. Additionally, Project of sewage treatment based on Advanced Oxidation Process has been approved by NMCG, New Delhi for the interim treatment system till construction of 55 MLD STP is completed. Plant is commissioned in May 2024. The said plant has been installed near the confluence of Assi River and Ganga River in Nagwa area, in which treatment is being done through geo tubes. At present, due to rise in the water level of river Ganga, plant is temporarily non operational.
2	Nakkhha Drain	5.00	Partially Tapped	2.5	The current discharge of the drain is 05 MLD. Out of which 2.5 MLD sewage is being tapped and treated in 50 MLD STP Ramna and complete tapping is proposed in above mentioned under construction 55 MLD STP Bio-Remediation is conducted by Jalkal Vibhag, VNN as interim measure. Bio-remediation is temporarily stopped due to monsoon and rise in level of River Ganga.
3	Samne Ghat Drain	1.17	Tapped	1.17	Tapped and diverted to 50 MLD STP Ramana. Overflow occurred in this drain in month of March 2024 due to chockage of Sewer pipeline. Bio-remediation was conducted by Jalkal Vibhag, VNN during period of De silting. No overflow is occurring after cleaning of sewer Pipe Line.
4	Sayar Mata Mandir & Ghatwari Mata Mandir Drain	4.50	Untapped.	0	Sujabad NP has recently been merged in Varanasi Municipal Corporation. Combined flow of these two drains is 4.5 MLD. Tapping of these drains is proposed in 07 MLD STP approved under AMRUT 2.0 Programm. Letter of award is issued on 30.09.2024. Completion period is 02 years.

04/10/2024
Ashish Kumar Singh
Project Manager
GPPU, UPJN(Rural)
Varanasi

04/10/2024
Kamlesh Singh
Executive Engineer
CD-1, UPJN(Rural)
Varanasi

Anoop Singh
GM, Jalkal Vibhag
Varanasi Munciple Corporation

कार्यालय नगर आयुक्त-नगर निगम, वाराणसी

संख्या: 165/378 नगरीय(ए)/2024-25, दिनांक: जुलाई 29-2024

कार्यवृत्त

दिनांक-23.07.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के विभिन्न कार्यालय पत्रांक-13307, 13309 व 13310/सी-6, दिनांक-01.07.2024 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित याचिकाओं में नगर निगम वाराणसी को पक्षकार मानते हुए अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अनुक्रम में अपर नगर आयुक्त-आर द्वारा सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पूर्व में भी पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात भी सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही न कराये जाने की दशा में समीक्षा बैठक आहूत की गयी जिसमें उपस्थिति निम्नवत रही:-

1. श्री राजीव कुमार राय, अपर नगर आयुक्त।
2. श्री उमेश कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वाराणसी।
3. श्री अमित कुमार, अधीक्षण अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) वाराणसी।
4. श्री कमल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) वाराणसी।
5. श्री आशीष सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी।
6. श्री सतीश कुमार, सहायक अभियन्ता, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड वाराणसी।

- उपरोक्त उपस्थित अधिकारी द्वारा गंगा नदी तथा वरूणा नदी में मिलने वाले नालो के स्वामित्व के सम्बन्ध में पृच्छा किये जाने पर सचिव, जलकल द्वारा अवगत कराया गया, कि नगर निगम सीमान्तर्गत गंगा नदी में मिलने वाले नालो के टैपिंग की कार्यवाही हेतु कार्यदायी विभाग उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) तथा वरूणा नदी के नालो के टैपिंग हेतु उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग बन्धी प्रखण्ड वाराणसी है।

गंगा नदी के ड्रेनो के सम्बन्ध में

- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कार्यालय पत्रांक-13309/सी-6, दिनांक-01.07.2024 द्वारा गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले नालो यथा नक्खा ड्रेन, सामने घाट ड्रेन व अस्सी नगवां ड्रेन के पार्शियली टैप्ड होन के कारण उक्त ड्रेनो से सीवेज बिना ट्रीटमेंट के ही गंगा नदी में मिल रहा है, जिससे कि गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसका मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन वाद पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक-21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालो के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अधिशोधित सीवेज उत्प्रभाव के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत यथा वाराणसी नगर निगम के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज के शुद्धीकरण होने तक रूपये 05.00 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से 46 माह हेतु रू0-05 प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0-6.90 करोड़ (रूपया छः करोड़ नब्बे लाख मात्र) अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में पृच्छा की गयी।
- उक्त के क्रम में अपर नगर आयुक्त-आर द्वारा अवगत कराया गया, कि उपरोक्त के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक जलकल (637/अ0न0आ0-आर/2023-24, दिनांक-29.04.2024, 649 व 650/अ0न0आ0-आर/2023-24, दिनांक-30.01.2024, 715/अ0न0आ0-आर/2023-24, दिनांक-04.03.2024, 21, व 29/अ0न0आ0-आर/2024-25, दिनांक 22.04.2024 व 75/अ0न0आ0-आर/2024-25, दिनांक-30.05.2024), अधीक्षण अभियन्ता जल निगम नगरीय (649/अ0न0आ0-आर/2023-24, दिनांक-30.01.2024), नगर स्वास्थ्य अधिकारी (715/अ0न0आ0-आर/2023-24, दिनांक-04.03.2024,) अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड

(75/अ0न0अ0-आर/2024-25, दिनांक-30.05.2024) को पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा अनटैप्ड नालो की टैपिंग करते हुए मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु सम्बन्धित कार्यदायी विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही न किये जाने की दशा में महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत कर कार्यदायी विभाग से कार्यवाही कराये जाने की आपेक्षा की गयी है।

- उक्त के क्रम अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नदी के ड्रेनो के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किया गया जो निम्नवत है:-

क. "नक्खा ड्रेन-उपरोक्त ड्रेन के इन्टरसेप्शन एवं डायवर्जन हेतु एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली के माध्यम से जायका सहायतित गंगा एक्शन प्लान फेज-1। परियोजना के अन्तर्गत इन्टरसेप्शन, डायवर्जन एवं ग्रेविटी सीवर पाइप लाइन के माध्यम से ट्रामा सेन्टर स्थित सीवेज लिफ्टस्टेशन द्वारा वर्ष 2021 से संचालित रमना स्थित 50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर शोधन किया जाता है। उपरोक्त नाले में ही भगवानपुर स्थित 9.8 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का शोधित उत्प्रवाह भी प्रवाहित होता है। वर्तमान में उक्त नाले में लगभग 5 एम0एल0डी0 सीवेज प्रवाहित होता है, जिसमें से लगभग 2-2.5 एम0एल0डी0 सीवेज उपरोक्त वर्णित एस0टी0पी0 पर शोधित होता है एवं मात्र 2.5-3 एम0एल0डी0 सीवेज उत्प्रवाहित होता है, जिसका बायोरेमिडिएशन पद्धति द्वारा शोधन किया जाता है। उपरोक्त वर्णित 2.5-3 एम0एल0डी0 सीवेज के बायोरेमिडिएशन से शोधन के उपरान्त भगवानपुर एस0टी0पी0 से उत्प्रवाहित लगभग 10 एम0एल0डी0 शोधित जल में मिक्स होकर गंगा नदी में प्रवाहित होता है। अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लिये गये सैम्पल में वर्णित बी0ओ0डी0 एवं टी0एस0एस0 की मात्रा क्रमशः 48 पीपीएम एवं 148 पीपीएम औचित्यहीन है।

ख- सामनेघाट ड्रेन में प्रवाहित सीवेज का इन्टरसेप्शन एवं डायवर्जन कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली द्वारा पोषित जायका सहायतित गंगा एक्शन प्लान फेज-1। परियोजना के अन्तर्गत इन्टरसेप्शन, डायवर्जन एवं ग्रेविटी सीवर पाइप लाइन के माध्यम से ट्रामा सेन्टर स्थित सीवेज लिफ्ट स्टेशन द्वारा वर्ष 2021 से संचालित रमना स्थित 50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर शोधन किया जाता है। उक्त इन्टरसेप्शन डायवर्जन के उपरान्त उपरोक्त नाला पूर्ण रूप से टैप्ड है। माह मार्च 2024 में उपरोक्त वर्णित ग्रेविटी सीवर पाइप लाइन में चोक हो जाने के दृष्टिगत गंगा नदी में अशोधित सीवेज को प्रवाहित होने से रोकने के दृष्टिगत जलकल विभाग द्वारा बायोरेमिडिएशन पद्धति से शोधन कराया जा रहा था। उक्त पाइप लाइन में उत्पन्न चोकेज की समस्या के समाधान के उपरान्त वर्तमान में कोई अशोधित सीवेज गंगा नदी में नहीं प्रवाहित हो रहा है। अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सामनेघाट नाले के लिये गये सैम्पल में वर्णित बी0ओ0डी0 एवं टी0एस0एस0 की मात्रा क्रमशः 112 पीपीएम एवं 206 पीपीएम औचित्यहीन है।

ग- अस्सी/नगवॉ ड्रेन में प्रवाहित सीवेज के शोधन हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021 से संचालित रमना स्थित 50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 में शोधन किया जाता है। उक्त ड्रेन में वर्तमान में लगभग 78 एम0एल0डी0 सीवेज प्राप्त होता है एवं 28 एम0एल0डी0 सीवेज अशोधित रहता है। उपरोक्त नाले में प्रवाहित सीवेज में रमना स्थित लैब में की गयी टेस्टिंग के अनुसार बी0ओ0डी0 एवं टी0एस0एस0 औसतः क्रमशः 125 पीपीएम एवं 250 पीपीएम रहती है। उक्त अशोधित सीवेज हेतु नगर निगम, वाराणसी द्वारा जलकल विभाग, वाराणसी के माध्यम से वर्ष 2021 से ही बायोरेमिडिएशन पद्धति से शोधन कराया जा रहा है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0 128/2021 में पारित आदेश के अनुपालन में उक्त अतिरिक्त सीवेज के शोधन हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 55 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 निर्माण की क्षमता की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त एस0टी0पी0 को माह दिसम्बर 2025 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त एस0टी0पी0 का निर्माण होने की अवधि तक अस्थाई शोधन व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली द्वारा एडवांस

ओक्सीडेशन प्रोसेस तकनीक से सीवेज शोधन हेतु परियोजना स्वीकृत की गयी है, जिसे माह मई 2024 में क्रियाशील कर दिया गया है। उक्त प्लान्ट के संचालित होने के उपरान्त ही जलकल विभाग, वाराणसी द्वारा बायोरेमीडिएशन पद्धति से सीवेज शोधन व्यवस्था को हटाया गया है। उक्त अस्थाई प्लान्ट में शोधित सीवेज के सैम्पल की टेस्टिंग आई0आई0टी0, बी0एच0यू0 द्वारा साप्ताहिक रूप से की जाती है। बी0एच0यू0 द्वारा की गयी सैम्पलिंग के टेस्ट रिपोर्ट से स्पष्ट है, कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गयी सैम्पलिंग के आधार पर उक्त नाले की वर्णित बी0ओ0डी0 एवं टी0एस0एस0 की मात्रा क्रमशः 104 पीपीएम एवं 212 पीपीएम औचित्यहीन है। उक्त के अतिरिक्त सचिव जलकल द्वारा अवगत कराया गया, कि जलकल विभाग द्वारा शहर में प्रतिदिन सीवर चोक, जल जमाव व पेयजल आपूर्ति आदि की समस्याओं के निराकरण हेतु सभी अधिकारी/कर्मचारी लगे रहते हैं, विभाग में बायोरेमीडिएशन प्लांट हेतु कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है और न ही अतिरिक्त कर्मचारी है, जिससे कार्य लिया जा सके। ऐसी दशा में यह सम्भव है, कि उक्त ड्रेनो के सीवेज ट्रीटमेंट हेतु तकनीकी तौर पर सक्षम विभाग द्वारा जल निगम (ग्रामीण) को धन आवंटित कर गंगा नदी के सभी नालो के अतिरिक्त सीवेज के ट्रीटमेंट की बायोरेमीडिएशन पद्धति से करायी जाय। उपरोक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण एवं सचिव, जलकल विभाग को निर्देशित किया गया कि गंगा नदी के तीनों ड्रेन यथा नक्खा, अस्सी एवं सामनेघाट पर बायोरेमीडिएशन पद्धति से सीवेज के ट्रीटमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा उक्त कार्यवाही में होने वाले व्यय का भुगतान जलकल विभाग द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाही- जलकल व उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण))

- गंगा नदी में उत्प्रवाहित होने वाले सायरा माता मंदिर ड्रेन व घटवारी माता मंदिर ड्रेन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कार्यालय पत्रांक:-एच-11617/सी-6/ओए नं०-593/2017/2024, दिनांक-29.05.2024 द्वारा पत्र प्रेषित कर उक्त दोनो नालो के टैड कर शोधित जल गंगा नदी में प्रवाहित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं यदि नियत अवधि में शोधित जल गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किया जाता है, तो मा० एन०जी०टी० के आदेश के अनुपालन में सीवेज के शुद्धीकरण होने तक रूपये 05.00 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जायेगा।
- उक्त के सम्बन्ध में सचिव जलकल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दोनो नाला नगर निगम वाराणसी के विस्तारित सीमाक्षेत्र में अवस्थित है तथा जलकल विभाग द्वारा शहर में प्रतिदिन सीवर चोक, जल जमाव व पेयजल आपूर्ति आदि की समस्याओं के निराकरण हेतु सभी अधिकारी/कर्मचारी लगे रहते हैं, अतिरिक्त कर्मचारी भी विभाग में नहीं है जिससे कि बायोरेमीडिएशन प्लांट लगाकर सीवेज को शोधित किया जा पाना विभाग द्वारा सम्भव नहीं है और न ही इस प्रकार के प्लांट हेतु तैनाती की जा सके और न ही तकनीकी विशेषज्ञ है। ऐसी दशा में यह सम्भव है, कि उक्त ड्रेनो के सीवेज ट्रीटमेंट हेतु विभाग द्वारा जल निगम (ग्रामीण) को धन आवंटित कर गंगा नदी के सभी नालो के सीवेज ट्रीटमेंट की कार्यवाही की जाय। दोनो ड्रेनो द्वारा शोधित जल का गंगा नदी में उत्प्रवाह हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा बायोरेमीडिएशन तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु कार्यदायी संस्था भी है। अतएवं उ० प्र० जल निगम ग्रामीण को बायोरेमीडिएशन या अन्य किसी माध्यम से शोधित जल गंगा नदी में प्रवाहित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही- जलकल व उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण))

वरुणा नदी के ड्रेनो के सम्बन्ध में

- उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कार्यालय पत्रांक-13309 व 13307/सी-6, दिनांक-01.07.2024 द्वारा वरुणा नदी में प्रवाहित होने वाले नालो यथा तेलियाबाद ड्रेन, नरोखर घाट ड्रेन व चमरौठा ड्रेन तथा दुर्गा ड्रेन के पार्शियली टैड होन के कारण उक्त ड्रेनो से सीवेज बिना ट्रीटमेंट के ही

वरूणा नदी में मिल रहा है, जिससे कि वरूणा नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है जिसका मा० एन०जी०टी० विचाराधीन वाद पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक-21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालो के माध्यम से वरूणा नदी में निस्तारित हा रहे अधिशोधित सीवेज उत्प्रभाव के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत यथा वाराणसी नगर निगम के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज के शुद्धीकरण होने तक रूपये 05.00 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से 46 माह हेतु रू०-05 प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू०-6.90 करोड़ (रूपया छः करोड़ नब्बे लाख मात्र) अधिरोपित किया गया है।

- उक्त नालो के सम्बन्ध में उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी की आख्या से स्पष्ट है, कि तेलियाबाद ड्रेन के टैपिंग का कार्य सिचाई विभाग द्वारा किया गया है, नरोखर ड्रेन को आंशिक रूप से टैप किया गया है तथा चमरौठा ड्रेन के टैपिंग का कार्य भी सिचाई विभाग द्वारा ही किया गया है। इसी क्रम में सचिव, जलकल विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वरूणा नदी में मिलने वाले सभी 15 नालो को टैप करने हेतु उ० प्र० सिचाई विभाग द्वारा किया गया है।

क. जहां तक तेलियाबाद ड्रेन, नरोखर घाट ड्रेन व चमरौठा ड्रेन के पार्शियली टैप्ड किये जाने के सम्बन्ध में नगर आयुक्त महोदय द्वारा गठित समिति श्री एस० के० रंजन अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थ कुमार सचिव जलकल व रघुवेन्द्र कुमार महाप्रबन्धक जलकल की जाच कमेटी की आख्या दिनांक-28.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि वरूणा नदी में मिलने वाले समस्त 14 नालो के टैपिंग के कार्य हेतु सिचाई विभाग की कार्यदायी संस्था यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा किया गया है। सिचाई विभाग एवं यू०पी०पी०सी०एल० के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया है कि "नालो के टैपिंग का कार्य वरूणा कारिडोर प्रोजेक्ट के साथ कराया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट निर्माण के बाद अनुरक्षण मद में कोई धनराशि अप्राप्त है। विगत 3-4 वर्षों में वरूणा नदी के बाढ़ के कारण चैम्बर एवं पार्दप लाइल में सिल्ट एवं गाद प्रवेश कर गयी है। सिचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अनुरक्षण का प्राक्कलन बनाकर विभाग में स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, परन्तु वर्तमान तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है।" यू. पी०पी०सी०एल० द्वारा पहले स्वयं अपने संसाधनो से कराये गये कार्य की सफाई एवं मरम्मत कराएं जिसके उपरान्त ही यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा निर्मित लाइन क्रियाशील है अथवा नहीं के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।

ख. उक्त के अनुक्रम में कार्यालय पत्रांक-1310/प्र०नि०बो०/2023-24, दिनांक-04.07.2023 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा हस्ताक्षरित पत्र मुख्य सचिव उ० प्र० शासन को प्रेषित कर वरूणा नदी पर नालो के टैपिंग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि "सिचाई विभाग एवं उत्तर प्रदेश पोजेक्ट कार्पोरेशन लि० द्वारा नाले की सफाई कर क्रियाशील कराना था। नाला सफाई न होने के कारण वाराणसी नगर निगम को हैण्ड ओवर नहीं हो पा रहा है। सफाई हेतु जो धनराशि की आवश्यकता है, उसके सम्बन्ध में दोनो विभागों द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डिजाइन फाल्ट के सम्बन्ध में भी स्पष्ट आख्या नहीं दिया जा रहा है। प्रकरण शासन स्तर से निस्तारित किया जा सकता है।"

ग. उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कार्यालय पत्रांक-2074/एन०जी०टी० ओ०ए० नं० 483/2022/2023-24, दिनांक-12.01.2024 द्वारा अधिशासी अभियन्ता बन्धी प्रखण्ड, सिचाई विभाग वाराणसी को पत्र प्रेषित कर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरीजिनल अप्लीकेशन नम्बर 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक-04.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित कर अपेक्षा की गयी है कि पार्शियली टैप्ड एवं ओवरफ्लो हो रहे अनटैप्ड सीवेज एवं अनटैप्ड ड्रेन के सम्बन्ध में विभागीय स्तर से की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में

आख्या चाही गयी है। जिसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इसके साथ ही यह भी अवगत कराना है कि वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित दूषित जल के समुचित प्रबंधन हेतु मुख्य सचिव उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक-09.04.2024 को सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्ति में भी सिचाई विभाग को ही उत्तरदायित्व दिया गया है।

- इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता सिचाई विभाग को निर्देशित किया गया, कि वरूणा नदी में प्रवाहित होने वाले समस्त नालो की टैपिंग कराते हुए आख्या अविलम्ब उपलब्ध कराये जिससे कि प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही- सहा०अभि० बन्धी प्रखण्ड सिचाई विभाग)

उक्त के क्रम में निर्देशित किया गया, कि गंगा नदी व वरूणा नदी में ड्रेनो के माध्यम में शुद्धीकृत सीवेज को निस्तारित किये जाने हेतु उ०प्र० जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) वाराणसी तथा उ० प्र० सिचाई विभाग बन्धी प्रखण्ड को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, तथा महा प्रबन्धक/ सचिव जलकल को निर्देशित किया गया कि जिन ड्रेनो में अतिरिक्त सीवेज जाता है उन ड्रेनो के सीवेज के ट्रीटमेंट हेतु 15 वी वित्त के एस०डब्ल्यू०एम० पार्ट से उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी धनराशि आवंटित करें तथा उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण/नगरीय) अपने स्तर से टेण्डर प्रक्रिया ससमय पूर्ण कर बायोरेमीडिएशन पद्धति द्वारा सीवेज शोधन की प्रक्रिया प्ररम्भ करा ले जिससे कि मा० एन०जी०टी० द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार बी०ओ०डी० व टी०एस०एस० इत्यादि आ जाये। इसके अतिरिक्त कार्यदायी विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या प्राप्त कर मा० एन०जी०टी० द्वारा नियत दिनांक-06.08.2024 को वाराणसी नगर निगम, वाराणसी का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करें तथा उक्त समस्त कृत कार्यवाही से क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अवगत कराये जाने हेतु पत्रालेख भी प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही- सचिव, जलकल/ उ० प्र० जल निगम (नगरीय/ग्रामीण))

उक्त निर्देशो के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।



नगर आयुक्त
नगर निगम वाराणसी।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।


1. अपर नगर आयुक्त-आर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. समस्त सम्बन्धित को अनुपालनार्थ।
3. गार्ड फाईल।



नगर आयुक्त
नगर निगम वाराणसी।

jioxgreen
WASTE TO GREEN

2nd March 2024...ASSIGHAT NALA IN VARANASI



SAKET NAGAR PULIYA DOSING




SANKAT MOCHAN PULIYA DOSING



SAKET NAGAR PULIYA DOSING



31st March 2024... ASSIGHAT NALA IN VARANASI



021 Map Camera

Varanasi, Uttar Pradesh, India
251-111, Tola Hanva Mandi Colony, 2nd floor, Varanasi, Uttar Pradesh 221001, India
Lat: 25.344539°
Long: 82.995549°
3/31/24 (0:23 AM) GMT+05:30

SAKET NAGAR PULIYA DOSING

SANKAT MUGHAN PULIYA DOSING

RAVIDAS PULIYA DOSING



NAKPHOR



GPS Map Camera

Varadasi, Uttar Pradesh, India
shop, 92, Harim Nagar Colony Rd, Samna Ghat, Varanasi, Uttar Pradesh

221005, India
Lat 26.267249°
Long 83.016086°

07/02/24 11:50 AM GMT +05:30

Google

काशी हिन्दू
विश्वविद्यालय



BANARAS HINDU
UNIVERSITY

Dr. Rajeev Pratap Singh PNAAS
Associate Professor
Institute of Environment and
Sustainable Development (IESD)
Banaras Hindu University
Varanasi - 221 005, Uttar Pradesh,
INDIA, T: 91-9935912997
E: rajeevprataps@gmail.com
rps.iesd@bhu.ac.in

Analysis of Assi River (Date: 02/05/24)

Sampling sites	pH	TSS (ppm)	EC ($\mu\text{S/cm}$)	BOD	COD	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet (2.5.24)	7.08	737	2120	99	212	3.5×10^6
Outlet (2.5.24)	7.25	80	1070	54	129	2.0×10^6

Analysis of Assi River (Date: 22/05/24)

Sample	pH	EC ($\mu\text{S/cm}$)	TSS	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	7.88	1110	318	99	361.35	3.9×10^6
Outlet without ozonization	7.94	1130	282	57	240	1.7×10^6
Ozonised Outlet	7.75	1160	56	60	84	800

Analysis of Assi River (5/06/2024)

Sample	pH	EC ($\mu\text{S/cm}$)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	7.8 ± 0.508	1260 ± 19.67	216 ± 8.02	54 ± 1.15	320 ± 3.73	3.3×10^6
Outlet without ozonization	7.98 ± 0.45	1130 ± 14.54	128 ± 4.82	24 ± 0.47	143 ± 2.89	2.0×10^6
Ozonised Outlet	7.85 ± 0.393	1090 ± 5.71	49 ± 5.77	18 ± 0.57	61 ± 2.54	920

Analysis of Assi River (10/06/2024)

Sample	pH	EC ($\mu\text{S/cm}$)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	7.53 ± 0.32	1030 ± 11.23	298 ± 8.60	105 ± 1.61	382 ± 4.58	3.9×10^6
Outlet without ozonization	7.65 ± 0.46	932 ± 14.72	153 ± 4.59	57 ± 1.04	176 ± 2.64	2.0×10^6
Ozonised Outlet	7.76 ± 0.52	663 ± 8.40	45 ± 1.53	19 ± 0.75	67 ± 0.80	1020

BHU
www.bhu.ac.in

काशी हिन्दू
विश्वविद्यालय



BANARAS HINDU
UNIVERSITY

Dr. Rajeev Pratap Singh PNAS
Associate Professor
Institute of Environment and
Sustainable Development (IESD)
Banaras Hindu University
Varanasi - 221 005, Uttar Pradesh,
INDIA, T: 91-9933912997
E: rajeevprataps@gmail.com
rps.lead@bhu.ac.in

Analysis of Assi River (19/06/2024)

Sample	pH	EC ($\mu\text{S/cm}$)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	8.28 \pm 0.41	1270 \pm 13.70	326 \pm 6.53	156 \pm 2.74	416 \pm 5.70	3.3 \times 10 ⁶
Outlet without ozonization	8.11 \pm 0.44	1020 \pm 13.52	135 \pm 3.71	99 \pm 2.79	235 \pm 3.38	1.7 \times 10 ⁶
Ozonised Outlet	7.65 \pm 0.39	680 \pm 7.40	52 \pm 1.66	26 \pm 2.16	73 \pm 2.50	621

Analysis of Assi River (25/06/2024)

Sample	pH	EC ($\mu\text{S/cm}$)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	7.86 \pm 0.52	1280 \pm 25.2	339 \pm 8.47	186 \pm 4.58	538 \pm 9.86	3.5 \times 10 ⁶
Outlet without ozonization	8.17 \pm 0.56	1060 \pm 19.5	145 \pm 3.58	121 \pm 3.38	284 \pm 5.03	1.7 \times 10 ⁶
Ozonised Outlet	8.38 \pm 0.42	610 \pm 9.7	45 \pm 1.17	31 \pm 0.99	82 \pm 1.96	753

Analysis of Assi River (02/07/2024)

Sample	pH	EC ($\mu\text{S/cm}$)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	6.63 \pm 0.19	1460 \pm 20.44	367 \pm 9.17	118 \pm 3.25	341 \pm 7.34	3.5 \times 10 ⁶
Outlet without ozonization	7.41 \pm 0.17	1144 \pm 24.02	127 \pm 2.92	88 \pm 2.81	242 \pm 6.16	2.0 \times 10 ⁶
Ozonised Outlet	7.95 \pm 0.22	786 \pm 13.8	59 \pm 1.74	24 \pm 0.64	53 \pm 1.27	790

Analysis of Assi River (09/07/2024)

Sample	pH	EC ($\mu\text{S/cm}$)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	6.8 \pm 0.16	1210 \pm 36.6	286 \pm 8.5	132 \pm 4.48	383 \pm 12.7	3.9 \times 10 ⁶
Outlet without ozonization	7.7 \pm 0.23	930 \pm 32.5	142 \pm 4.8	85 \pm 2.55	267 \pm 9.07	2.3 \times 10 ⁶
Ozonised Outlet	7.3 \pm 0.26	724 \pm 21.7	43 \pm 1.63	17 \pm 0.61	57 \pm 1.93	820



SL

काशी हिन्दू
विश्वविद्यालय



BANARAS HINDU
UNIVERSITY

Dr. Rajeev Pratap Singh^{PNAAS}
Associate Professor
Institute of Environment and
Sustainable Development (IESD) and
Banaras Hindu University
Varanasi - 221 005, Uttar Pradesh,
INDIA, T: 91-9935912997
E: rajeevprataps@gmail.com
rps.icsd@bhu.ac.in

Analysis of Assi River (15/07/2024)

Sample	pH	EC (μ S/cm)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	8.11 \pm 0.23	1280 \pm 35.4	320 \pm 9.76	146 \pm 5.11	402 \pm 10.05	4.6 \times 10 ⁶
Outlet without ozonization	7.97 \pm 0.24	1050 \pm 34.1	180 \pm 4.41	99 \pm 3.24	286 \pm 10.86	2.7 \times 10 ⁶
Ozonised Outlet	7.58 \pm 0.21	742 \pm 21.4	54 \pm 1.44	26 \pm 0.80	78 \pm 1.88	860

Rajeev Singh

31.07.2024

ANNEXURE R-7

प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की संयुक्त अध्यक्षता में दिनांक 28.09.2024 को वाराणसी में गंगा, वरूणा एवं अस्सी नदियों में प्रदूषण की रोकथाम तथा वरूणा नदी के पुनरोद्धार हेतु समेकित कार्ययोजना के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की संयुक्त अध्यक्षता में दिनांक 28.09.2024 को वाराणसी में आयोजित समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया (सूची संलग्न):-

1. डा० राजशेखर, परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उ०प्र०/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
2. श्री एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी
3. श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4. श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
5. श्री अक्षत वर्मा, नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
6. श्री पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
7. श्री हिमांशु नागपाल, मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
8. सुश्री स्वाति, प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी।
9. श्री संदीप कुमार, मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
10. श्री आर०वी० राम, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
11. श्री विश्वेश्वर प्रसाद, मुख्य अभियन्ता (वारा०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
12. श्री अमित कुमार सोनकर, अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
13. श्री ज्ञान चन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, आई. डब्ल्यू. सी., सिंचाई विभाग, वाराणसी।
14. श्री सुरेश चन्द्र यादव, महाप्रबन्धक, यू.पी. प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड।
15. श्री अनूप सिंह, महाप्रबन्धक, जल-कल-विभाग, नगर निगम, वाराणसी।
16. श्री यू. के. गुप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
17. श्री अमित कुमार सोनकर, अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), वाराणसी।
18. श्री कमल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), वाराणसी।

सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन एवं परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी तथा परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी को वाराणसी की सीवरेज व्यवस्था के संबंध में प्रस्तुतीकरण देने हेतु निर्देशित किया गया।

परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी के द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण पर विचार विमर्श करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये:-

1. अबगत कराया गया कि नगर निगम, वाराणसी को 06 सीवरेज डिस्ट्रिक्ट में विभाजित किया गया है, जिनमें 07 एस०टी०पी० कुल क्षमता 420 एम०एल०डी० के स्थापित है। इन 06 सीवरेज डिस्ट्रिक्ट में 44 नग नाले प्रवाहित होते हैं, जिनसे लगभग 522 एम०एल०डी० सीवरेज उत्पन्न होता है। वर्तमान में गंगा नदी की तरफ बह रहे कुल 29 नालों में से 26 नाले पूर्ण रूप से टैप्ड हैं, अवशेष 03 नालों में से 02 नालों की टैपिंग का कार्य नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत

प्रगति पर है एवं 01 नाले की टैपिंग अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर एस0एल0टी0सी0 से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

निर्देश- (1) नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 02 नालों की टैपिंग का कार्य समय से पूर्ण कराये जाने हेतु, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण))

(2) अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित 01 नाले की टैपिंग के कार्य का एल.ओ.ए. शीघ्र जारी कर कार्य प्रारम्भ कराये जाने के निर्देश उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के अधिकारियों को दिये गये।

(कार्यवाही-उ0प्र0 जल निगम (नगरीय))

2. नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वाराणसी नगर में कुल 4.15 लाख घर हैं, जिनके सापेक्ष मात्र 1.56 लाख सीवर के संयोजन है। अर्थात् 37.6 प्रतिशत सीवर गृह संयोजन है। वाराणसी नगर को आगामी दिनों में शत-प्रतिशत सीवर गृह संयोजन प्रदान किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन से अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा वर्चुअली विचार-विमर्श किया गया।

उक्त के अतिरिक्त अधिक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया है कि वाराणसी नगर निगम को सीवेज कनेक्शन से शत-प्रतिशत आच्छादित करने के लिए अमृत 2.0 कार्यक्रम अन्तर्गत उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा कुल 13 जोन में विभाजित किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रु0 9000.00 करोड़ है। सूजाबाद जोन में सीवर लाइन एवं सीवरैज हाउस कनेक्शन हेतु सी0डब्ल्यू0ए0पी0 की स्वीकृति स्पेशल ट्रंच में होने के पश्चात योजना का प्राक्कलन विरचित (अनुमानित लागत रु0 96.17 करोड़) करते हुए स्वीकृति उपरान्त निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है एवं अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त अवशेष 12 जोन में सी0डब्ल्यू0ए0पी0 अनुमानित लागत रु0 8904.00 करोड़ की स्वीकृति अपेक्षित है। ओल्ड वाराणसी नगर निगम में अत्यधिक प्रभावित 18 वार्ड (16 नग वार्ड सिस बरूणा एवं 02 नग वार्ड ट्रांस बरूणा) में सीवर व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु लगभग रु0 570.00 करोड़ का व्यय आने की सम्भावना है, जिस हेतु विस्तृत डीपीआर के विरचन हेतु सर्वे के कार्यों के लिए फर्म के चयन हेतु निविदा की प्रक्रिया प्रचलित है, निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर सर्वे का कार्य आगामी सप्ताह से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। भूमिगत यूटिलिटीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए नमूने के रूप में सर्वाधिक प्रभावित वार्ड की अधिक भूमिगत यूटिलिटी वाली एक लैन का LIDAR/ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जी0पी0आर0) सर्वे कराते हुए उसका अध्ययन कर लिया जाय, यदि रिपोर्ट सही आती है तो अन्य क्षेत्र का LIDAR/ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जी0पी0आर0) सर्वे करने हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

निर्देश- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) एवं नगर आयुक्त, वाराणसी को निर्देशित किया गया कि संयुक्त रूप से वाराणसी नगर को सीवर गृह संयोजनों से संतृप्त किये जाने की कार्ययोजना शीघ्र तैयार कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)/
नगर आयुक्त, वाराणसी)

3. परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के द्वारा अवगत कराया गया कि बरूणा नदी की तरफ बह रहे 15 नालो में से 13 नालो को सिंचाई विभाग द्वारा बरूणा नदी के दोनों ओर इन्टरसेप्टिंग सीवर लाइन विछा कर टैप किया गया था,

जिनमें से अधिकांश वर्तमान में ओवर फ्लो कर रहे हैं। 01 नाला आंशिक टैप्ड है एवं 01 नाला (दुर्गा नाला) अनटैप्ड है एवं बरूणा नदी के दोनों ओर पूर्व से बिछायी गई इन्टरसेप्टिंग सीवर की क्रियाशीलता की कार्ययोजना अभी तक सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई है, जिसके कारण वाराणसी में बरूणा के लिये समेकित कार्य योजना भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। समीक्षा बैठक में मुख्य अभियन्ता, सोन, सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बरूणा नदी के दोनों ओर पूर्व से बिछायी गई इन्टरसेप्टिंग सीवर लाइन के री-डिजाइन/सर्वे हेतु आई0आई0टी0, बी0एच0यू0 से तकनीकी जांच कराने हेतु शासन से धनराशि की मांग कर ली गयी है, जिसके उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इन्टरसेप्टिंग सीवर की क्रियाशीलता की कार्ययोजना के संबंध में, मुख्य सचिव महोदय के द्वारा दिनांक 28.02.2024 की बैठक में दिये गये निर्देशों के बावजूद, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा लगभग 07 माह बाद भी कोई कार्यवाही न किये जाने पर अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया।

निर्देश-सिंचाई विभाग के उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि इन्टरसेप्टिंग सीवर की क्रियाशीलता के संबंध में 15 दिन के अन्दर स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाये कि उक्त सीवर लाइन को उपयोग में लाया जा सकता है अथवा नहीं, तथा कार्ययोजना 01 माह के अन्दर उपलब्ध करायी जाये। तदनुसार मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराते हुए कार्ययोजना भारत सरकार प्रेषित की जा सके।

(कार्यवाही-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0)

4. समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि अस्सी नदी के जीर्णोद्धार हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 के साथ अस्सी नदी के ड्राइंग डिजाइन एवं विस्तृत डी0पी0आर0 तैयार किये जाने हेतु एम0ओ0यू0 गठित किया गया है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाही-उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी)

5. वाराणसी नगर में वर्तमान में जल जमाव के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015 में स्टार्म वाटर ड्रेनेज की परियोजना उ0प्र0 जल निगम द्वारा क्रियान्वित की गई थी, जिसके अन्तर्गत 72 कि0मी0 पाइप लाइन बिछाई गई थी तथा कार्य नगर निगम, वाराणसी को हस्तान्तरित किया जाना है। योजना के रख-रखाव मद् में धनराशि प्राविधानित न हो के कारण पाइप लाइन में सिल्ट जमा होने के दृष्टिगत वर्ष 2021 में नगर निगम द्वारा 20 कि0मी0 लम्बाई में सफाई हेतु रु0 4.74 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गई थी, जिससे उक्त पाइप लाइन की सफाई करायी गई थी एवं वर्तमान में उक्त लाइने पूर्ण क्षमता पर कार्य कर रही है। अवशेष 50 कि0मी0 लाइनों हेतु रु0 15.44 करोड़ की धनराशि का प्राक्कलन उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा वाराणसी नगर निगम को प्रेषित किया गया है, परन्तु अभी धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। नगर आयुक्त के द्वारा धनाभाव की स्थिति से अवगत कराये जाने पर यह विचार किया गया कि प्रस्तावित धनराशि में 50 प्रतिशत धनराशि नगर निगम तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा वहव की जाये, जिससे डिसल्टिंग कराकर पाइप लाइन शीघ्र जनोपयोगी हो सके।

निर्देश- (1) नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी को निर्देश दिये गये कि सफाई की गयी 20 किमी लम्बाई की स्टार्म वाटर ड्रेन पाइप को नगर निगम द्वारा एक सप्ताह के अन्दर हस्तगत की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये।

- (2) अवशेष पाइप लाइन की सफाई हेतु प्रस्तावित धनराशि में नगर निगम तथा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) 50-50 प्रतिशत वहन करते हुए अवशेष डिसिल्टिंग कार्य को पूर्ण कर पाइप लाइन शीघ्र जनोपयोगी की जाये।

(कार्यवाही-नगर आयुक्त, वाराणसी/
परियोजना प्रबन्धक, जी. पी. सी. यू., उ०प्र० ज० नि० (ग्रा०))

6. जिलाधिकारी, वाराणसी एवं नगर आयुक्त, वाराणसी के द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नदी के किनारे 18 बाड़ों में सीवेज ओवर फ्लो की समस्या है, जिसका कारण विभिन्न एजेन्सियों के द्वारा बगैर समन्वय सीवर लाइनें बिछाया जाना है। इस संबंध में उ०प्र० जल निगम (नगरीय), के द्वारा क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है। ओवर फ्लो की समस्या के हल हेतु विस्तृत प्राक्कलन उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा तैयार किया जायेगा।

निर्देश- उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि आधुनिक तकनीक के द्वारा विधिपूर्वक सर्वेक्षण कराते के उपरान्त ओवर फ्लो की समस्या के हल हेतु यथाशीघ्र डी. पी. आर. तैयार किया जाये।

(कार्यवाही- उ०प्र० जल निगम (नगरीय))

7. जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न विभागों के द्वारा सीवर लाइन बिछाने तथा स्टार्म वाटर ड्रेनेज के कार्य कराये गये हैं, परन्तु प्रभावी समन्वय न होने के कारण कार्यों के सफल संचालन में कई कठिनाइयां आ रही हैं। वर्तमान में संचालित, निर्माणाधीन तथा भविष्य में प्रस्तावित सीवेरज/स्टार्म वाटर ड्रेनेज की परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु यह आवश्यक है कि किसी विशेषज्ञ संस्था से विस्तृत अध्ययन कराकर डाक्यूमेन्टेशन करा लिया जाये। विशेषज्ञ संस्था के चयन हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अथवा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। नगर आयुक्त के द्वारा अवगत कराया गया कि अध्ययन कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध है।

निर्देश-निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी/जिला प्रशासन से समन्वय कर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन/उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) से सम्पर्क कर विस्तृत अध्ययन हेतु विशेषज्ञ संस्था के चयन हेतु शीघ्र कार्यवाही करायी जाये।

(कार्यवाही- नगर आयुक्त, नगर निगम/
परियोजना प्रबन्धक, जी. पी. सी. यू. उ०प्र० जल निगम, (ग्रा०))

परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण ईकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी के द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के पश्चात् सचिव/परियोजना निर्देशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ०प्र० के द्वारा अवगत कराया गया कि सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध शा० पत्र सं०-Pr-12012/20/2022-Tech-I-NMCG दिनांक 16.08.2024 तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ. ए. सं०-128/2021 में दिनांक 23.11.2021 को पारित किये गये आदेश के क्रम में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ०प्र० के द्वारा वरूणा नदी के पुनरोद्धार हेतु एक समेकित कार्ययोजना तैयार की गयी है, जिसका परियोजना निर्देशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ०प्र० के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में तकनीकी सलाहकार, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ०प्र० के द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया जिस पर विचार-विमर्श करते हुए प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये:-

- 1- अवगत कराया गया कि गंगा नदी की सहायक नदी वरूणा नदी प्रयागराज जनपद के अन्तर्गत फूलपुर तहसील में स्थित मैलहन झील से निकलती है जो 04 जनपदों-प्रयागराज, जौनपुर, भदोही तथा वाराणसी होते हुए वाराणसी में सहाय मोहन-आदिकेशवर घाट पर गंगा नदी में मिलती है। वरूणा नदी की कुल लम्बाई 202 किमी है तथा इसकी दो सहायक नदियां बसुही

तथा मोरवा है। बसुही नदी बरूणा में प्रारम्भ बिन्दु से लगभग 100 किमी दूरी पर तथा मोरवा नदी लगभग 150 किमी दूरी पर मिलती है।

- 2- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ. ए. सं0-128/2021 में पारित आवेश दिनांक 16.06.2021 के क्रम में तैयार की गई कार्ययोजना के अनुसार बरूणा नदी के पूर्ण स्ट्रेच को जल गुणवत्ता के आधार पर 03 भागों में विभाजित किया गया है-

स्ट्रेच- I प्रयागराज जनपद के अन्तर्गत प्रारम्भ बिन्दु से भदोही जनपद में बसुही नदी के बरूणा नदी के संगम स्थल से ठीक पूर्व जो लगभग 100 किमी लम्बाई में है।

स्ट्रेच- II भदोही जनपद में बसुही नदी संगम स्थल से दनियलपुर ड्रेन के अपस्ट्रीम (जनपद वाराणसी) तक जो लगभग 72 किमी लम्बाई में है।

स्ट्रेच- III दनियलपुर ड्रेन के डाउनस्ट्रीम (जनपद वाराणसी) से वाराणसी नगर में आदिकेशवर घाट तक जो लगभग 30 किमी लम्बाई में है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्य योजनानुसार स्ट्रेच- I एवं स्ट्रेच- II में बरूणा नदी में अधिक प्रदूषण नहीं है तथा नेचर बेस्ड साल्यूशन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। स्ट्रेच- III अपेक्षाकृत अधिक प्रदूषित है।

- 3- बरूणा नदी के पुनरोद्धार एवं प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु विभिन्न विभागों से अब तक प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ0प्र0 द्वारा की गयी समेकित कार्ययोजना में जनपद वाराणसी में सीवेज प्रबन्धन हेतु 02 नग एस.टी.पी. (220 एम.एल.डी. एवं 55 एम.एल.डी.), 02 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन (40 एम.एल.डी. एवं 70 एम.एल.डी.) तथा गोइठहा एस.टी.पी. हेतु एफ्लूएन्ट लाइन तथा बरूणा नदी के दोनों ओर पूर्व से बिछी हुई इण्टर सेप्टिंग सीवर लाइन को क्रियाशील किये जाने सम्बन्धित कार्यों के प्रस्ताव लिये गये हैं।
- 4- जनपद भदोही में सीवेज शोधन हेतु 02 नग एस.टी.पी. (18 एम.एल.डी. एवं 5.5 एम.एल.डी.) तथा औद्योगिक उत्सवाह के शोधन हेतु 01 नग सी.ई.टी.पी. प्रस्तावित किया गया है।
- 5- जनपद प्रयागराज, जौनपुर, भदोही एवं वाराणसी में सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित नेचर बेस्ड साल्यूशन-डिसिल्टिंग कार्य; कन्स्ट्रक्टेड वेट लैण्ड सिस्टम, वेट लैण्डस का पुनरोद्धार, वृक्षारोपण तथा बायो डायवर्सिटी पार्कों की स्थापना आदि समेकित कार्ययोजना में सम्मिलित किये गये हैं।
- 6- कार्ययोजना में अभी तक प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कुल लागत रु0 2099.00 करोड़ के प्रस्ताव को सम्मिलित किया गया है। सिंचाई विभाग से नेचर बेस्ड कार्यों के प्रस्ताव, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) से सीवेज प्रबन्धन कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं। बरूणा नदी के दोनों ओर पूर्व से बिछायी गयी इण्टर सेप्टिंग सीवर लाइन की क्रियाशीलता की कार्ययोजना अभी तक सिंचाई विभाग द्वारा उपजन्ध नहीं करायी गयी है, जिसके कारण वाराणसी नगर में बरूणा नदी के लिए समेकित कार्ययोजना में इस कार्य की लागत सम्मिलित न होने के कारण इसे भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जनपद भदोही में औद्योगिक उत्सवाह के शोधन हेतु सी.ई.टी.पी. के निर्माण का डी.पी.आर. भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा तैयार कराये जाते की कार्यवाही की जा रही है, जिसके कारण बरूणा नदी, जो, चार जनपदों क्रमशः प्रयागराज, जौनपुर, भदोही तथा वाराणसी से होकर गुजरती है, की समेकित कार्ययोजना में सी.ई.टी.पी. की लागत अभी सम्मिलित नहीं हो सकी है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-
- जिलाधिकारी, वाराणसी की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग द्वारा बिछायी गयी इण्टरसेप्टिंग सीवर की क्रियाशीलता की जांच हेतु एक कमेटी गठित की जाये, जिसमें

नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी, सिंचाई विभाग, उ०प्र० जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) कमेटी के सदस्य होंगे तथा आवश्यकतानुसार आई.आई.टी., वी.एच.यू., वाराणसी से सुझाव/मन्तव्य प्राप्त कर लिया जाये कि उक्त सीवर लाइन को उपयोग में लाया जा सकता है अथवा नहीं, तथा वर्तमान में नालों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत कुल श्राव के आधार पर सीवर लाइन की वहन क्षमता (Carrying capacity) पर्याप्त है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में कमेटी 02 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसे अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन स्तर पर निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा सके। इण्टरसेप्टिंग सीवर की क्रियाशीलता तथा वहन क्षमता की स्थिति ज्ञात किया जाना अत्यावश्यक है क्योंकि अन्य विभागों द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना की उपयोगिता इस इण्टरसेप्टिंग सीवर लाइन की क्रियाशीलता पर ही निर्भर है।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, वाराणसी/
मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई विभाग वाराणसी)

- भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भदोही में औद्योगिक उत्प्रवाह के शोधन हेतु सी.ई.टी.पी. की स्थापना का डी.पी.आर. एक माह में तैयार कर प्रस्ताव राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ०प्र० को प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, भदोही/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (बीडा), भदोही)

- 7- वाराणसी नगर निगम को पेयजल कनेक्शन से शतप्रतिशत आच्छादित करने के लिए अमृत 2.0 कार्यक्रम अन्तर्गत उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा कुल 09 सी०डब्ल्यू०ए०पी० यथा सिस वरूणा एरिया (ओल्ड), ट्रांस वरूणा एरिया (ओल्ड), लहरतारा जोन, चितईपुर जोन, लमही जोन, दीनापुर जोन, इंदिरा नगर कालोनी में 24x7, रामनगर जोन एवं सूजाबाद जोन MoHUA पोर्टल पर कुल लागत ₹0.850.70 करोड़ अपलोड किये गये हैं, जिसके सापेक्ष 07 नग सी०डब्ल्यू०ए०पी० (लहरतारा जोन, चितईपुर जोन, लमही जोन, दीनापुर जोन, इंदिरा नगर कालोनी में 24x7, रामनगर जोन एवं सूजाबाद जोन) अनुमानित लागत ₹0.627.35 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त है तथा 02 नग सी०डब्ल्यू०ए०पी० (सिस वरूणा एरिया (ओल्ड), ट्रांस वरूणा एरिया (ओल्ड)) अनुमानित लागत ₹0.223.00 करोड़ की स्वीकृति अपेक्षित है। स्वीकृत 07 नग सी०डब्ल्यू०ए०पी० के सापेक्ष 02 नग (दीनापुर जोन, इंदिरा नगर कालोनी में 24x7) सी०डब्ल्यू०ए०पी० के प्राक्कलन विरचित किये जा चुके हैं तथा इंदिरा नगर कालोनी में 24x7 में निविदा की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है तथा दीनापुर जोन की निविदा प्रक्रिया में है। अवशेष 05 नग सी०डब्ल्यू०ए०पी० (लहरतारा जोन, चितईपुर जोन, लमही जोन, रामनगर जोन एवं सूजाबाद जोन) में से 02 नग (लमही जोन, रामनगर जोन) के प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही प्रगति पर है तथा 03 सी०डब्ल्यू०ए०पी० (लहरतारा जोन, चितईपुर जोन एवं सूजाबाद जोन) में वाटर वर्क के निर्माण कार्य हेतु भूमि प्राप्त करने हेतु जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा अवशेष 02 नग सी०डब्ल्यू०ए०पी० (सिस वरूणा एरिया (ओल्ड), ट्रांस वरूणा एरिया (ओल्ड)) को स्वीकृत कराने के साथ-साथ स्वीकृत 05 नग सी०डब्ल्यू०ए०पी० (लहरतारा जोन, चितईपुर जोन, लमही जोन, रामनगर जोन एवं सूजाबाद जोन) के प्राक्कलन विरचित करते हुए स्वीकृति हेतु शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-राज्य मिशन निदेशक (अमृत 2.0)/
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)

- 8- वाराणसी नगर निगम में बस सिटी बस ऑपरेटर को लागू किए जाने के संबंध में 15 दिन में फ्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हुए शासन को अवगत कराये जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही-नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी/
महाप्रबन्धक, जलकल, नगर निगम, वाराणसी)

- 9- वाराणसी नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र का सीवरेज मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एस0पी0वी0 के गठन पर भी विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि नगर निगम के सीवर और वाटर सप्लाय की मास्टर प्लानिंग के लिए एक एस0पी0वी0 का गठन कर लिया जाय।

(कार्यवाही- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/
नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी)

अंत में अध्यक्ष महोदय के द्वारा वाराणसी नगर की सीवरेज व्यवस्था तथा गंगा, वरुणा एवं अस्सी नदियों में प्रदूषण की रोकथाम हेतु सभी विभागों के द्वारा प्रभावी समन्वय के माध्यम से समेकित रूप से कार्य किये जाने की अपेक्षा की गयी।


(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन


(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-7443/नौ-5-2024- Computer No: 1783470
लखनऊ: दिनांक 04 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग/नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/नगर विकास विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण/नगरीय), लखनऊ।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी/भदोही।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भदोही, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, भदोही।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
7. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
8. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लि0, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
11. मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई विभाग, वाराणसी।
12. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भदोही, जनपद-भदोही।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
14. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।


(कल्याण बतर्जी)
संयुक्त सचिव



दिनांक- 24/09/2024

पत्रांक- 690/11/ज0क0न0नि0

सेवा में

परियोजना प्रबन्धक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)
भगवानपुर वाराणसी।

विषय- वाराणसी शहर में गंगा एवं वरुणा नदी में गिरने वाले ड्रेनेज के बायोरेमीडिएशन कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जलकल विभाग, नगर निगम वाराणसी द्वारा शहर में प्रतिदिन सीवर शोक, जल जमाव व पेयजल आपूर्ति आदि की समस्याओं के निराकरण हेतु सभी अधिकारी/कर्मचारी लगे रहते हैं। जहां तक बायोरेमीडिएशन पद्धति के माध्यम से सीवेज को शोधित किया जाना है, उसके लिए विभाग में अतिरिक्त कर्मचारी नहीं हैं और न ही विभाग के पास इसके लिए कोई न ही तकनीकी विशेषज्ञ है, परन्तु अस्सी नालों के सीवेज के शोधन हेतु जलकल विभाग द्वारा बायोरेमीडिएशन पद्धति द्वारा सीवेज का शोधन किया जा रहा था, और जब उ0प्र0जल निगम द्वारा एडवांस ऑक्सिडेशन प्रोसेस द्वारा सीवेज का शोधन किये जाने लगा, तब जलकल विभाग द्वारा बायोरेमीडिएशन पद्धति को हटा दिया गया। जल निगम द्वारा ड्रेनेज के टैपिंग का कार्य किया जा रहा है, ऐसी दशा में यह निर्णय लिया गया कि जब तक एस0टी0पी0 की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक के लिए गंगा नदी या वरुणा नदी के ड्रेनेज के निस्तारण हेतु जलकल विभाग द्वारा बायोरेमीडिएशन पद्धति से सीवेज का शोधन हेतु 15 वां विल्ट के एस0डब्ल्यू0एम0 पार्ट से वांछित घनराशि की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये एवं उ0प्र0जल निगम वाराणसी के स्तर से टेण्डर प्रक्रिया ससमय पूर्ण कर कार्यवाही कराना सुनिश्चित की जाये। उक्त निर्देश के क्रम में जलकल विभाग द्वारा एस0डब्ल्यू0एम0 पार्ट से बायोरेमीडिएशन कार्य हेतु वांछित घनराशि की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

अतः आप से हुई वार्ता के क्रम में अनुरोध है कि गंगा एवं वरुणा नदी में गिरने वाले ड्रेनेज के बायोरेमीडिएशन कार्य हेतु अपने स्तर से टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वांछित घनराशि की मांग हेतु मांग पत्र जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे कि घनराशि आपको उपलब्ध करायी जा सके।

भवदीय,

अनूप सिंह
महाप्रबन्धक

दिनांक- 24/09/2024

पृ.सं0690/11/ज0क0न0नि0

प्रतिलिपि- 1- जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, वाराणसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3- सचिव, जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण इकाई वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

5- श्री कौशल कुमार कौशिक, सहायक अभियन्ता(मुख्यालय) जलकल विभाग, नगर निगम वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) वाराणसी से समन्वय स्थापित कर बायोरेमीडिएशन से सम्बन्धित कार्य कराना सुनिश्चित करें।

महाप्रबन्धक

जलकल विभाग, वाराणसी



पत्रांक- 510/11/ज0क0न0नि0

सेवा में

अधिसारी अभियन्ता
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
वाराणसी।

महोदय

कृपया संलग्न नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, वाराणसी के कार्यालय पत्रांक संख्या- 533/न0प10-एस0टी0/2024-25 दिनांक- 29.07.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त समझना में अवगत कराया है कि जलकल विभाग, नगर निगम वाराणसी द्वारा शहर में प्रतिदिन सीवर बोर्ड जल जमाव व पेयजल आपूर्ति आदि की समस्याओं के निराकरण हेतु सभी अधिकारी/कर्मचारी सने रहते हैं। जहां तक बायोरेमीडिएशन पद्धति के माध्यम से सीवेज को शोधित किया जाना है, उसके लिए विभाग में अतिरिक्त कर्मचारी नहीं हैं और न ही विभाग के पास इसके लिए कोई न ही तकनीकी विशेषज्ञ हैं। परन्तु अस्सी नालो के सीवेज के शोधन हेतु जलकल विभाग द्वारा बायोरेमीडिएशन पद्धति द्वारा सीवेज का शोधन किया जा रहा था, और जब उ0प्र0जल निगम ग्रामीण द्वारा एडवॉंस ऑक्सिडेशन प्रोसेस द्वारा सीवेज का शोधन किये जाने लगा, तब जलकल विभाग, नगर निगम द्वारा बायोरेमीडिएशन पद्धति को हटा दिया गया। जल निगम ग्रामीण द्वारा ड्रेनेज के टैपिंग का कार्य किया जा रहा है, ऐसी दशा में यह निर्णय लिया गया कि जब तक एस0टी0पी0 की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक के लिए गंगा नदी या बरुणा नदी के ड्रेनेज के निस्तारण हेतु जलकल विभाग द्वारा बायोरेमीडिएशन पद्धति से सीवेज का शोधन हेतु 15 टन विल्ट के एस0डब्ल्यू0एम0 पार्ट से वांछित धनराशि की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये एवं उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी के स्तर से टेण्डर प्रक्रिया सतमय पूर्ण कर कार्यवाही कराना सुनिश्चित की जाये। उक्त निर्देश के क्रम में जलकल विभाग द्वारा एस0डब्ल्यू0एम0 पार्ट से बायोरेमीडिएशन कार्य हेतु वांछित धनराशि की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

अतः आप से अनुरोध है कि गंगा एवं बरुणा नदी में गिरने वाले ड्रेनेज के बायोरेमीडिएशन कार्य हेतु अपने स्तर से टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वांछित धनराशि की मांग हेतु मांग पत्र जलकल विभाग वाराणसी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे कि धनराशि आपको उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय नारायण शर्मा)

महाप्रबन्धक

दिनांक 14/08/2024

पु.स. 510/11/ज0क0न0नि0

- प्रतिनिधि-1- जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी को साक्षर सूचनाएं प्रेषित।
- 2- नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, वाराणसी को साक्षर सूचनाएं प्रेषित।
 - 3- राधिव, जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी को साक्षर सूचनाएं प्रेषित।
 - 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण इकाई वाराणसी को सूचनाएं प्रेषित।
 - 5- श्री जीराल कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता (गुणवत्ता) जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी को उक्त निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसारी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी से समन्वय स्थापित कर बायोरेमीडिएशन से सम्बंधित कार्य कराना सुनिश्चित करें।

महाप्रबन्धक

जलकल विभाग, वाराणसी



जलकल विभाग, नगर निगम,
भेलपुर, वाराणसी

ई-मेल - gmikvns@gmail.com

दिनांक- 04/09/2024

पत्रांक- 511/ज0क0न0नि0

सेवा में

अधिशारी अभियन्ता
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
वाराणसी।

महोदय

कृपया संलग्न नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, वाराणसी के कार्यालय पत्रांक संख्या- 533/न0आ0-
एस0टी0, 2024-25 दिनांक- 29.07.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जलकल विभाग, नगर निगम वाराणसी द्वारा शहर में प्रतिदिन सीवर
धोक, जल जमाव व पेयजल आपूर्ति आदि की समस्याओं के निराकरण हेतु सभी अधिकारी/कर्मचारी लगे रहते हैं।
जहाँ तक बायोरेमीडिएशन पद्धति के माध्यम से सीवेज को शोधित किया जाना है, उसके लिए विभाग में अतिरिक्त
कर्मचारी नहीं है और न ही विभाग के पास इसके लिए कोई न ही तकनीकी विशेषज्ञ है, परन्तु अस्सी नालों के
सीवेज के शोधन हेतु जलकल विभाग द्वारा बायोरेमीडिएशन पद्धति द्वारा सीवेज का शोधन किया जा रहा था, और
जब उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण द्वारा एडवांस ऑक्सिडेशन प्रोसेस द्वारा सीवेज का शोधन किये जाने लगा, तब जलकल
विभाग, नगर निगम द्वारा बायोरेमीडिएशन पद्धति को हटा दिया गया। जल निगम (ग्रामीण) द्वारा ड्रेनेज के टैपिंग का
कार्य किया जा रहा है, ऐसी दशा में यह निर्णय लिया गया कि जब तक एस0टी0पी0 की व्यवस्था नहीं हो जाती है,
तब तक के लिए गंगा नदी या वरुणा नदी के ड्रेनेज के निस्तारण हेतु जलकल विभाग द्वारा बायोरेमीडिएशन पद्धति
से सीवेज का शोधन हेतु 15 वां विल्ट के एस0डब्ल्यू0एम0 पार्ट से वांछित घनराशि की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये
एव उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी के स्तर से टेण्डर प्रक्रिया ससमय पूर्ण कर कार्यवाही कराना सुनिश्चित की
जाये। उक्त निर्देश के क्रम में जलकल विभाग द्वारा एस0डब्ल्यू0एम0 पार्ट से बायोरेमीडिएशन कार्य हेतु वांछित
घनराशि की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। पूर्व में आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या-510/11/ज0क0न0नि0
दिनांक- 14.08.2024 द्वारा बायोरेमीडिएशन कार्य हेतु टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करने एवं वांछित घनराशि की मांग पत्र
जलकल विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था किन्तु आप द्वारा न तो निविदा की बारे में जानकारी
नहीं दी गयी और न ही आप द्वारा अभी तक उक्त कार्य के सम्बन्ध मांग पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। मा0
राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या-483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य
बनाम स्टेट आफ यूपी में पारित आदेश दिनांक-28.04.2024 के अनुपालन में विलम्ब होने पर दण्ड प्राकियानित है।
माह अक्टूबर 2024 से बायोरेमीडिएशन कार्य प्रारम्भ होना है।

अतः आप से पुनः अनुरोध है कि गंगा एवं वरुणा नदी में गिरने वाले ड्रेनेज के बायोरेमीडिएशन कार्य हेतु
अपने स्तर से टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वांछित घनराशि की मांग हेतु मांग पत्र जलकल विभाग वाराणसी को
उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे कि घनराशि आपको उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुप सिंह)
महाप्रबन्धक

दिनांक 04/09/2024

पृ.सं. 44 / 11/ज0क0न0नि0

प्रतिलिपि-1- जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, वाराणसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3- सचिव, जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण इकाई वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

5- श्री कौशल कुमार कौशिक, सहायक अभियन्ता (मुख्यालय) जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी को
इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशारी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी से
समन्वय स्थापित कर बायोरेमीडिएशन से सम्बन्धित कार्य कराना सुनिश्चित करें।

(अनुप सिंह)
महाप्रबन्धक

जलकल विभाग वाराणसी

TE/3/2022-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL M

320/2024

संख्या - TE/3/2022-O/o ED(TECH) NMCG

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

प्रथम तल, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम,

निकट इंडिया गेट, नई दिल्ली - 110001,

दिनांक: 16th.01.2024

सेवा में,

The Managing Director,
UP Jal Nigam (Rural),
6, Rana Pratap Marg, Lucknow - 226001

विषय:- Reg. Treatment of Assi Drain via Advanced Oxidation Process", Varanasi,
Uttar Pradesh under Namami Gange Program

Sir,

As you are aware that NMCG has approved a project for treatment of Assi Drain (excess flow) in 52nd EC meeting. This is a service model-based project wherein payment shall be made to the agency per million litre of the treated wastewater. M/s ORIAPL JV has been selected agency for the work. As per RFP BOD, COD, TSS, and DO will serve as Key Performance Indicators (KPIs).

2. While the outlet parameters will be monitored online and reported to NMCG and SMCG, it is also proposed to have the performance report appraised by a third-party agency. In this regard, Banaras Hindu University, Varanasi, an empaneled Third-Party Appraisal (TPA) agency in NMCG, will be responsible for evaluating the performance report, as per the requirements of LoA.

3. Furthermore, NMCG has appointed UPJN-Rural as the supervising agency for the project, and the supervision charges shall be as per existing applicable norms (amount to 4% of the project cost). It is expected that treatment of overflow will start before Feb 2024. Thus, you are requested to direct the concerned division of UPJN- Rural to take the supervisory role in the project.

4. This has the approval of DG, NMCG.

Thanking You.

Enclosed:

16.01.24
(डॉ. पतीण कुमार)

निदेशक (तकनीकी)

Copy to: - The Project Director, SMCG-UP Plot No-18, Sector-7 Gomati Nagar
Extension Lucknow - 226001, UP

4

345

TE/3/2022-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA

920/1/2024

Internal circulation: -
i. PS to DG, NMCG/PS to ED (P)/SWMS (RG)

SL

TE/3/2022-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA

संख्या - TE/3/2022-O/o ED(TECH) NMCG

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

प्रथम तल, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम,

निकट इंडिया गेट, नई दिल्ली - 110001,

दिनांक: 16.01.2024

सेवा में,

Dr. Rajeev Pratap Singh
Institute of Environment & Sustainable
Development, Banaras Hindu University,
Varanasi- 221011

विषय:- Reg. Treatment of Assi Drain via Advanced Oxidation Process", Varanasi,
Uttar Pradesh under Namami Gange Program

Sir,

This is bringing to your kind notice that NMCG has approved a project of treatment of Assi Drain (excess flow). This is a service model-based project wherein payment shall be made to the agency per million litre of the treated wastewater. M/s ORIAPL JV has been selected agency for the work and UPJN (Rural) shall be supervising agency for the project. As per RFP BOD, COD, TSS, and DO will serve as Key Performance Indicators (KPIs).

2. While the outlet parameters will be monitored online and reported to NMCG and SMCG, it is also proposed to have the performance report appraised by a third-party agency (TPA). As you are an empaneled TPA agency in NMCG, it has been proposed to engage your services and expertise for evaluating the performance report of the project. The samples of the treated wastewater are required to be tested for KPIs by third party on weekly basis.

3. You are requested to submit the proposal for the applicable fee against the appraisal of performance reports and sample testing.

4. This has the approval of DG, NMCG.

Thanking You.

Leavish
16/01/24
(डॉ. प्रवीण कुमार)
निदेशक (तकनीकी)

Enclosed:

Copy to: - The Project Director, SMCG-UP Plot No-18, Sector-7 Gomati Nagar Extension
Lucknow - 226001, UP

Internal circulation: -

PS to DG, NMCG/PS to ED (P)/SWMS (RG)

Handwritten signature

नमामि
गंगा

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
National Mission for Clean Ganga

File No.: TE/3/2022-O/o ED(TECH) NMCG

Dated: 01st December, 2023

To,
M/s ORAIPL,
002, Ozone House, Khare Town, Dharampeth,
Nagpur - 440010

Sub: Treatment of Assi Drain via Advanced Oxidation Process", Varanasi, Uttar Pradesh under Namami Gange Program

Ref:

1. GEM Bid Number GEM/2023/B/3175712. Dated 24/05/2023.
2. RFP Ref No: TE/3/2022-O/o ED (Tech)/NMCG.
3. Online Negotiation Meeting at 11 AM Dated 09/11/2023.
4. Your letter dated 09/11/2023.

Dear Sir,

This is to notify that your bid for the execution of the " Services for removal of pollutants from Drain water through installation and commissioning of Advanced Oxidation Process AOP or any Similar Treatment Process for drain joining River Ganga at Varanasi", Uttar Pradesh, under Namami Gange Program for the **contract price of Rs. 40.00 cr. (Rupees Forty Crores only)** including GST, is hereby accepted by competent authority NMCG for a period of two years. The contract may be further extended for one or more years subject to satisfactory performance and requirement assessment by NMCG and guided by the General Condition of the Contract, clause no. 14 - Contract Extension, Pg no - 27 of the RFP.

2. It is requested to furnish Performance Security for **Rs. 1.20 cr. (Rupees One Crore and Twenty Lacs only)** in favor of the Project Director, SMCG-UP and valid beyond 60 days from the contract completion period, in the form and manner and as per terms and conditions of the tender documents within 15 days from the date of issue of this LOA. You are also requested to execute the contract agreement within 25 days from the date of issue of this LOA.
3. The contract price as per rates quoted are tabulated in Annexure-1.
4. Technical proposal submitted by you shall form a part of the contract. In addition, a detailed work plan for the project needs to be submitted to SMCG-UP for their approval, if required, through combined site visit and the approved work plan shall be made part of the contract agreement.
5. The flow monitoring mechanism shall be as per the RFP. The same shall be clearly articulated in the work plan and flow data management shall be approved by SMCG-UP and shared with SMCG-UP (R)/NMCG, so that the same is made part of the contract agreement.

Page 1 of 4

एन एम सी जी, (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)


प्रथम तल, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट, नई दिल्ली-110002

NMCG, (Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India.)
First Floor, Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate, New Delhi-110002

Ph.: 011-23072900, 23072901

6. Payment Schedule shall be as per General Conditions of Contract, Clause no. 12 - Payment, page no 26 of the TFP document.
7. SMCG-UP shall be the appointed authority for monitoring the performance of the plant and verification/validation of the monthly performance report.
8. The payment shall be made by NMCG after approval of the monthly performance report which should be based on Third Party assessment.
9. Please acknowledge the receipt of this letter and convey acceptance of all terms and conditions with 7 days of receipt of this letter to SMCG-UP with a copy to NMCG.
10. SMCG-UP shall issue the requisite 'Notice to proceed with work' upon receipt of your acknowledgement, receipt of Performance Guarantee in full in approved form as per RFP, approval of work plan and signing of contract agreement. Other terms and conditions of the RFP shall prevail.
11. The Oxidation plant shall be fully functional within three months from the issuance of 'Notice to proceed with work'.
12. This is a performance contract (service contract model), and hence the approved rate would be reduced by 5% for the entire period, if the starting date, as agreed for service delivery, is breached.
13. The system to be put in place and treatment of Assi nala must be started within 90 days as proposed. If contractor fails to achieve the timeline, the 1% penalty will be levied on per day basis.
14. NMCG/ SMCG-UP will monitor the progress of the work on a continuous basis.
15. As deliberated in the EC meeting and recorded in the EC minutes, the payment will be on the actual treatment quantity and no payment will be made during the monsoon season.
16. This issues with the approval of competent authority.

Your Sincerely,
For National Mission for Clean Ganga



(विनोद कुमार)

निदेशक (परियोजना), एनएमसीजी




Copy for kind perusal to:

- 1) Project Director, SMCG-UP

Copy for information:

- 1) PPS to the Secretary, DoWR, RD&GR
- 2) PS to Director General, NMCG
- 3) PS to Executive Director (Technical) / PS to Executive Director (Projects) / PS to Executive Director (Finance) NMCG
- 4) Guard file



Annexure-1Assi Nala

S. No.	Activity	Unit	Fixed Cost per day (in INR)
1	Service cost for providing committed water quality of drain water	MLD	29,850/- (Excluding GST)

*All cost to be inclusive of all T & P, POL and labour components complete.

Contract price has been derived as below:

Contract price is Rs 29,850/- per ML excluding taxes for two years' contract as per T&C of the tender document. The payment shall be made on actual treatment quantity and no payment shall be made during monsoon period.

Considering a wet period of 3 months and average flow of 22 MLD (flow varies from 15-30 MLD), the maximum fund outgo in the project shall be Rs 40.00 cr. (Avg flow 22 MLD X Discounted rate Rs 29850/- per ML X 1.18 (GST) X 240 days per year (excluding monsoon period) X project duration of 2 years).

SL

Antim

3773/वे.स.ए.0-24
03-05-24

File No.9-5099/6/2024- -5- '1

274/ERK
06.15.24

दिनांक
नगर निगम वाराणसी

वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित दूषित जल के समुचित प्रबंधन हेतु मुख्य सचिव, 0 प्र 0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.04.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त नगर आयुक्त (आर)

संख्या 386
दिनांक 09.05.24

नगर निगम, वाराणसी

स्थिति: संलग्न विवरण के अनुसार।

वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेक्टर सीवर के क्रियाशील न होने एवं नालों को नदी में गिरने से रोकने के संबंध में विचार-विमर्श हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।

2. विषयगत प्रकरण में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2024 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों की टैपिंग हेतु यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यों की तकनीकी अध्ययन तथा रेड्रोफिटिंग के कार्य का भौतिक निरीक्षण कर अपना प्रस्तुतीकरण बैठक में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समिति द्वारा वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों की टैपिंग, एस0 टी0 पी0 निर्माण, सीवररेज नेटवर्क इत्यादि कार्यों को किये जाने हेतु विकल्पों के विषय में विचार-विमर्श किया गया, उक्त के क्रम में निम्नवत् मत स्थिर किया गया:

क्र. सं.	कार्यवाही का बिन्दु	बैठक में दिये गये निर्देश	कार्यवाही किये जाने वाले संबंधित विभाग
1	वरुणा नदी के किनारे पूर्व में स्थापित इण्टरसेक्टर सीवर लाइन/चैम्बर्स की मरम्मत व डिसिल्टिंग का कार्य किये जाने के संबंध में।	वरुणा नदी के किनारे बने इण्टरसेक्टर चैम्बर्स, जो प्रायः गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण पानी में डूब जाते हैं, जिससे इण्टरसेक्टर सीवर लाइन में अत्यधिक सिल्ट जमा हो जाता है। उक्त के दृष्टिगत निम्न निर्देश दिये गये हैं: <ul style="list-style-type: none"> यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 द्वारा तकनीकी जांच कराते हुए इण्टरसेक्टर चैम्बर्स को नाले के अपस्ट्रीम में सिपट किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे इण्टरसेक्टर सीवर लाइन में सिल्टिंग न हो पूर्व में स्थापित इण्टरसेक्टर सीवर लाइन में बने चैम्बर्स में वरुणा नदी का पानी बैकफ्लो हो जाता है। उक्त ओवरफ्लो के कारणों की तकनीकी जांच कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा ओवरफ्लो को रोकने हेतु बनाये गये डक्ट को बन्द करने एवं चैम्बर्स को रिडिजाईन करने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। <p>पूर्व में बिछाई गयी इण्टरसेक्टर सीवर लाइन को यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 द्वारा सर्वे तथा तकनीकी</p>	<ul style="list-style-type: none"> प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

4-7-19-24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

नगर आयुक्त
नगर निगम
वाराणसी

		परीक्षण करने के उपरान्त आवश्यक मरम्मत व डिसिल्टिंग का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित किये जाए ताकि इन्टरसेप्टर सीवर लाइन भविष्य में पुनः सिल्टिंग के कारण निष्प्रयोज्य न हो। उक्त कार्य में होने वाले व्यय का आगणन बनाकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से धनराशि प्राप्त करने के संबंध में भी नियमानुसार कार्यवाही की जाए।	
2	वरुणा नदी में प्रवाहित होने वाले नालों की टैपिंग एवं एस 0 टी 0 पी 0 निर्माण कराये जाने के संबंध में।	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (एन 0 एम 0 सी 0 जी 0) द्वारा 80 एमएलडी दीनापुर एसटीपी एवं कोनिया एमपीएस को 220 एमएलडी क्षमता पर अपग्रेड किया जाये, उक्त अतिरिक्त दुर्गा नाले की टैपिंग एवं लोहता में 55 एमएलडी क्षमता के एसटीपी निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। विषयगत प्रकरण में वरुणा नदी में प्रवाहित 13 नालों के अतिरिक्त शेष नालों के टैपिंग की भी कार्यवाही करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई अशोधित जल वरुणा नदी में सीधे प्रवाहित न हो।	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
3	वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इन्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एसटीपी एवं दीनापुर एसटीपी पर डायवर्जन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में।	उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इन्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एसटीपी एवं दीनापुर एसटीपी पर डायवर्जन की कार्यवाही की जाये। उक्त कार्य हेतु अपेक्षित धनराशि अमृत/राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधानित धनराशि से कराये जाने पर संबंधित विभाग द्वारा विचार किया जाये।	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ
4	प्रस्तावित कार्यों के समन्वय एवं हस्तान्तरण के संबंध में।	विषयगत प्रकरण से संबंधित कार्यों का समन्वय आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा तीनों विभाग यथा-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से नियमित अनुश्रवण किया जायेगा। नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा उक्त कार्यों में अपेक्षित सहयोग तथा समन्वय प्रदान किया जाए। साथ ही आयुक्त, वाराणसी मण्डल द्वारा उपर्युक्त योजनान्तर्गत बनाये गये विभिन्न	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग • प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

(15)

	निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त नगर निगम, वाराणसी को हस्तान्तरित करने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।	विभाग • आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ • नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी
5	वरुणा नदी में जल जमाव से उत्पन्न मच्छरों की समस्या से निजात जमाव से उत्पन्न हेतु सिंचाई विभाग द्वारा वरुणा नदी में अतिरिक्त जल छोड़े जाने के समस्याओं के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	• प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अन्त में बैठक सघन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally Signed by अमृत
अभिजात

Date: 25-04-2024 11:06:43

Reason: Approved

(अमृत अभिजात)

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या: 2024/नौ-5-2024-Computer No: 1783470

लखनऊ, दिनांक 25 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ 0 प्र 0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
4. महानिदेशक, एन 0 एम 0 सी 0 जी 0, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
8. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
9. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
10. जिलाधिकारी, वाराणसी।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
12. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
13. निदेशक, आई 0 आई 0 टी 0 (बी 0 एच 0 यू 0)
14. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा/से,
25.04.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

वरुणा नदी में प्रवाहित दूषित जल के समुचित प्रबंधन के संबंध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2024 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव, उ० प्र० भासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 09.04.2024 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में, वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित होने वाले दूषित जल के समुचित प्रबंधन हेतु बैठक आहूत की गयी, जिसमें विभिन्न विभागों के निम्नलिखित अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। —

1. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
4. अधिशासी अभियंता, जल निगम (नगरीय), वाराणसी।
5. अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
6. महाप्रबंधक, जलकल, वाराणसी।
7. परियोजना प्रबंधक, यू०पी०सी०एल०, वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ० प्र० जल निगम (नगरीय), वाराणसी को निर्देश दिये गये, कि मुख्य सचिव, उ० प्र० भासन, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर अद्यतन स्थिति के संबंध में समय-समय पर मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न करायें।

मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन द्वारा विभिन्न विभागों को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अब तक की गयी कार्यवाही कार्यवाही निम्नानुसार है —

क्र० सं०	संबंधित विभाग	मुख्य सचिव महोदय की बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन की स्थिति एवं दिये गये निर्देश
1	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन	<p>वरुणा नदी के किनारे बने इण्टरसेप्टर चैम्बर्स, जो प्रायः गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण पानी में डूब जाते हैं, जिसके इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में अत्यधिक सिल्ट जमा हो जाता है। उक्त के दृष्टिगत निम्न निर्देश दिये गये हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा तकनीकी जाँच कराते हुए इण्टरसेप्टर चैम्बर्स को नाले के अपस्ट्रीम में सिफ्ट किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में सिल्टिंग न हो • पूर्व में स्थापित इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में बने चैम्बर्स में वरुणा नदी का पानी बैकफ्लो हो जाता है। उक्त ओवरफ्लो के कारणों की तकनीकी जाँच कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा ओवरफ्लो को रोकने हेतु बनाये गये डक्ट को बन्द करने एवं चैम्बर्स को रिडिजाईन करने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। • पूर्व में बिछायी गयी इण्टरसेप्टर सीवर लाइन को यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा सर्वे तथा तकनीकी परीक्षण करने के उपरान्त आवश्यक मरम्मत व डिजिटलिंग का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित किये जाए ताकि इण्टरसेप्टर सीवर लाइन गतिष्प में पुनः सिल्टिंग के कारण निष्प्रयोज्य न हो। उक्त कार्य में होने वाले व्यय का आगमन बनाकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से धनराशि प्राप्त करने के 	<p>यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा अवगत कराया गया कि योजना की तकनीकी जाँच एवं सलाह हेतु आई.आई.टी. बी.एच.यू. से अनुरोध किया गया है, जिस पर आई.आई.टी. बी.एच.यू. द्वारा योजना की तकनीकी जाँच एवं सलाह हेतु रु० 25.96 लाख प्रोफार्मा बिल दिया गया है, जिसे स्वीकृति एवं धनावंटर हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), मुख्यालय सिंचाई विभाग को भेजा गया है। यह कार्य अत्यंत विलंबित चल रहा है जिस पर रोष प्रकट किया गया। मुख्यालय एक सप्ताह में इस प्रस्ताव पर निर्णय ले।</p> <p>यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा अवगत कराया गया कि मरम्मत एवं डिजिटलिंग हेतु आगमन प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है। यह कार्य अत्यंत विलंबित चल रहा है तथा यू० पी० पी० सी०एल० द्वारा इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जिससे पूरी वरुणा नदी में दूषित पानी की समस्या व्याप्त है। सिंचाई</p>

		संबंध में भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	विभाग तथा यू0पी0पी0सी0एल0 तत्काल इस पर कार्य शुरू कराए।
2	नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग एवं उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण)	<ul style="list-style-type: none"> उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (एन.एम.सी. जी.) द्वारा 80 एम.एल.डी. दीनापुर एस.टी.पी. एवं कोनिया एम.पी.एस. को 220 एम.एल.डी. क्षमता पर अपग्रेड किया जाये, दुर्गा नाले की टैपिंग एवं लोहता में 55 एम. एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। वरुणा नदी में प्रवाहित 13 नालों के अतिरिक्त शेष नालों के टैपिंग की भी कार्यवाही करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई अशोधित जल वरुणा नदी में सीधे प्रवाहित न हो। 	<p>परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण खण्ड, उ. प्र. जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का डी. पी.आर., अनुमानित लागत रु0 1182.00 करोड़ का एन.एम. सी.जी. को दिनांक 10.07.2024 को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है। जल निगम मुख्यालय इस पर शीघ्र निर्णय लें।</p> <p>परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का डी.पी.आर. अप्रैल, 2022 को स्वीकृति हेतु एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित किया जा चुका है। एन0एम0सी0जी0 इस पर शीघ्र निर्णय लें।</p> <p>परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण पर उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रधान कार्यालय, लखनऊ से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी। यह कार्य अत्यंत विलंबित चल रहा है। एक सप्ताह में इस पर निर्णय कर परियोजना गठित कराएं।</p>
3	नगर विकास विभाग एवं उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)	उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इन्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एस.टी. पी. एवं दीनापुर एस.टी.पी. पर डायवर्जन की कार्यवाही की जाये। उक्त कार्य हेतु अपेक्षित धनराशि अमृत/राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि से कराये जाने पर संबंधित विभाग द्वारा विचार किया जाये।	अधिसासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी तथा विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जलापूर्ति विभाग से अनुरोध किया गया है, कि भूमि प्राप्त होने पर डी.पी.आर. तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। अधिसासी अभियन्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वरुणा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु गोइठहां एस.टी.पी. से वरुणा नदी तक एपल्यूयेन्ट लाइन डालने हेतु डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया

			है एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है। अधिशारी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि, वरुणा नदी के दोनों किनारों पर सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि, जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर प्राप्त करें एवं एक माह में डी.पी. आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी, वाराणसी चौकाघाट पर एक सप्ताह में भूमि चिन्हित कराएं।
4	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	वरुणा नदी में जल जमाव से उत्पन्न मच्छरों की समस्या से निजात हेतु सिंचाई विभाग द्वारा वरुणा नदी में अतिरिक्त जल छोड़े जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 06.05.2024 से 03.06.2024 तक 100 क्यूसेक पानी वरुणा नदी में छोड़ गया है तथा 15 एवं 16 जुलाई, 2024 को 100-100 क्यूसेक पानी वरुणा नदी में छोड़ गया है।

अतएव बैठक में उपस्थित समस्त संबंधित अधिकारियों को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुरूप निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(कौशल राज शर्मा)
आयुक्त,
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

पत्रांक: 1810 / वै0सहा0-आयुक्त-2024

दिनांक 29 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, उ0 प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण), वाराणसी।
8. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
10. अधिशारी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ0 प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण), वाराणसी।

आयुक्त,
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

क्रम-संख्या-144



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एरा०एरा०पी०/एत०
उत्त०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्वोशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021

गादपद 2, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 800/79-वि-1-21-1-क-29-21

लखनऊ, 24 अगस्त, 2021

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन), विधेयक, 2021 जिससे नगर विकास अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 अगस्त, 2021 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

- 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।
- (2) यह ऐसे दिनांक को प्रयुक्त होगा जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

2

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 24 अगस्त, 2021

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 43 सन्
1975 की धारा
2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश जल रामरण तथा सीगर व्यवस्था अधिनियम, 1985, जिसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में-

(क) खण्ड 10 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-
“(10) नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, पंचायतीराज विभाग, अवरथापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का तात्पर्य राज्य सरकार के अधीन इन नामों के विभागों से है।”

(ख) खण्ड (15) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-
“(15) 'निगम' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) तथा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) से है।”

(ग) खण्ड (29) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-
“(29क) नगरीय स्थानीय निकाय का तात्पर्य नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत अथवा किसी नगरीय क्षेत्र समिति से है और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ग्रामीण स्थानीय निकाय का तात्पर्य जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं प्राग पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय निकाय के रूप में अधिसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी अन्य क्षेत्र से है।”

धारा 3 का
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

“राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम को उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), जो नगर विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा और उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जो नमामि गंगे और ग्रामीण जल सम्मरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा, के नाम से दो निगमों में तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम की निर्माण तथा अभिकल्प सेवाएं उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के साथ जारी रहेंगी।”

धारा 4 का
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 4 में-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

“(1) जल निगम (नगरीय) में, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा।

(1क) जल निगम (ग्रामीण) में, उपधारा (2कक) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा।”

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

(2) जल निगम (नगरीय) में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) एक प्रबन्ध निदेशक जो प्रशासनिक अनुभव से युक्त और जल सम्मरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्य के अनुभव से भी युक्त अर्ह अभियंता होगा अथवा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की श्रेणी का कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(ख) विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की भारतीय प्रशासनिक सेवा श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो संयुक्त प्रबन्ध निदेशक अथवा पेय जल और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्य में अनुभव सहित मुख्य अभियन्ता स्तर के दो अभियंता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

(ग) एक वित्त निदेशक, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जिसके पास वित्त एवं लेखा कार्य सम्बन्धी विषयों का अनुभव हो।

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, पदेन होंगे।

प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी विभाग और प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अवरथापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, पदेन

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग, पदेन

(च) निदेशक स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश पदेन

(छ) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश, पदेन।

(ज) राज्य में स्थानीय निकायों के पांच निर्वाचित प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2क) जल निगम (ग्रामीण) में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) एक प्रबन्ध निदेशक, जो प्रशासनिक अनुभव से युक्त और जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्य के भी अनुभव से युक्त अर्ह अभियंता होगा अथवा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की श्रेणी का भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(ख) विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की श्रेणी का भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो संयुक्त प्रबन्ध निदेशक अथवा पेय जल तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्य में अनुभव से युक्त मुख्य अभियंता स्तर के दो अभियंता, जो उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(ग) एक वित्त निदेशक, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जिसके पास वित्तीय तथा लेखा कार्य सम्बन्धी विषयों का अनुभव हो।

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, पदेन।

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन, पंचायतीराज विभाग, नगागि गंगे एवं ग्रामीण जल सम्भरण विभाग, पदेन।

(च) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग पदेन

(छ) निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, पदेन

(ज) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, पदेन

(झ) राज्य में स्थानीय निकायों के पांच निर्वाचित प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

5-मूल अधिनियम की धारा 14, जिसमें पार्षांकित शीर्षक सम्मिलित है, के स्थान पर निम्नलिखित धारा और पार्षांकित शीर्षक रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

14-उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) की अधिकारिता राज्य का अधिसूचित नगरीय क्षेत्र होगा। उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(एक) राज्य सरकार के निर्देशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था और मल निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनका उन्नयन करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना।

(दो) राज्य सरकार और नगरीय स्थानीय निकायों को निजी संस्था या व्यक्तियों के अनुरोध पर जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाएं करना।

(तीन) राज्य सरकार के निर्देशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था तथा जल निकासी के लिए राज्य योजनाएं तैयार करना।

(चार) जल संस्थानों और नगरीय स्थानीय निकायों, जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, के क्षेत्रों के भीतर टैरिफ, करों तथा जल सम्भरण प्रमारों के समीक्षा करना और उन पर सलाह देना।

(पाँच) अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उन्हें प्राप्त करने तथा उनका उपयोग किये जाने का प्रबन्ध करना।

(छ) जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना।

(सात) नगरीय क्षेत्रों में ऐसे सभी कृत्य करना, जो यहाँ पर उल्लिखित न हों और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किये जा रहे थे।

(आठ) प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय, जो धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो। जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं की वार्षिक समीक्षा करना।

(नौ) राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा अनुरक्षण करना।

धारा 14 का संशोधन उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) की अधिकारिता का क्षेत्र और उसके कृत्य

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 24 अगस्त, 2021

(दस) जब राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाय तब किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी निबन्धनों तथा शर्तों पर ऐसी अवधि के लिए, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संचालित करना, चलाना और अनुरक्षण करना।

(ग्यारह) राज्य में जल सम्मरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जन-शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना।

(बारह) निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षता पूर्वक निस्तारित करने के लिए व्यावहारिक अनुसंधान करना।

(तेरह) इस अधिनियम द्वारा या तदधीन निगम को सौंपे गये किन्हीं कृत्यों को करना और

(बीस) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जाएं।

6. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढा दी जायेगी, अर्थात् :-

"14-क उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की अधिकारिता राज्य का ग्रामीण उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की क्षेत्र होगा। उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) अधिकारिता का क्षेत्र और उसके कृत्य के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-

(एक) जल सम्मरण के लिए तथा सीवर व्यवस्था और मल निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनका उन्नयन करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना;

(दो) राज्य सरकार और ग्रामीण स्थानीय निकायों को तथा अनुरोध करने पर निजी संस्थाओं या व्यक्तियों को जल सम्मरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना;

(तीन) राज्य सरकार के निर्देशों पर जल सम्मरण और सीवर व्यवस्था तथा जल निकासी के लिए राज्य योजनाएं तैयार करना;

(चार) ग्रामीण स्थानीय निकायों, जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, के क्षेत्र के भीतर टैरिफ, कर तथा जल सम्मरण प्रमारों की समीक्षा करना और उन पर सलाह देना;

(पांच) अपेक्षित सामग्रियों का निर्धारण करना और उन्हें प्राप्त करने तथा उनका उपयोग किये जाने का प्रबन्ध करना;

(छ) जल सम्मरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना;

(सात) ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे समस्त सम्बन्धित कृत्यों को करना, जो यहाँ उल्लिखित न हों, और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किये जा रहे थे;

(आठ) प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय, जिसने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, के जल सम्मरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं की वार्षिक समीक्षा करना;

(नौ) राज्य में प्रत्येक जल सम्मरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संबद्ध पहलुओं की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने की सुविधा स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना;

(दस) जब राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाय तब किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी निबन्धन और शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संचालित करना, चलाना और अनुरक्षण करना;

(ग्यारह) राज्य में जल सम्मरण तथा सीवर व्यवस्था संबन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जन-शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना;

(बारह) निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षता पूर्वक व्यावहारिक अनुसंधान करना;

(तेरह) उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के अधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा;

नयी धारा
14-क का
बढाया जाना

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 24 अगस्त, 2021

(चौदह) इस अधिनियम द्वारा तदधीन निगम को सौंपे गये किन्हीं अन्य कृत्यों को करना, और

(पन्द्रह) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो गजट में, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जाये।"

7-पाश्चात्तिक शीर्षक सहित मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा और पाश्चात्तिक शीर्षक रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

धारा 15 का
संशोधन.

"15-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यापीन निगम को ऐसा कोई भी निगम की शक्ति कार्य करने की शक्ति होगी, जो इसके लिए इस अधिनियम के अधीन उसके अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा राशीचीन हो।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी अधिकारिता क्षेत्र में ऐसी शक्ति के अन्तर्गत उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी:-

(एक) समस्त जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिराके द्वारा भी संचालित होती हों, निरीक्षण करना;

(दो) किसी सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा रांचालन अधिकरण से ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना, जिसे वह आवश्यक समझे;

(तीन) अपने स्वयं के कार्मिकों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;

(चार) जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजनाएं तैयार और उन्हें कार्यान्वित करना;

(पाँच) राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यष्टियों को निगम द्वारा प्रदान की गयी समस्त सेवाओं के लिए फीस की अनुसूची निर्धारित करना;

(छः) किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संधिदा या करार करना, जिसे निगम, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक समझे;

(सात) स्वयं वार्षिक बजट अभिस्वीकृत करना;

(आठ) जल संस्थानों के अधिकारिता में समाविष्ट सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय निकायों पर जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, लागू जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिए टैरिफ का अनुगोदन करना;

(नौ) धन उधार लेना, ऋण पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना;

(दस) स्थानीय निकायों को उनकी जल सम्भरण योजना तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी योजना के लिए ऋण वितरण करना;

(ग्यारह) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने के लिए व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों, जिन्हें निगम आवश्यक समझे, को ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।

8-मूल अधिनियम की धारा 31 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

धारा 31 का
संशोधन

31-(1) निगम की स्थापना के दिनोंक, जिसे आगे "नियत दिनोंक" कहा गया है, से-

(क) समस्त सम्पत्तियों और आस्तियों (जिसके अन्तर्गत जल-कल, भवन, प्रयोगशालाएँ, मण्डार, यान फर्नीचर और अन्य साज-सामान सम्मिलित हैं) जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम में नियत दिनोंक के ठीक पूर्व निहित थीं, सब निगम में निहित हो जायेंगी और अंतरित हुई समझी जायेंगी जैसा कि राज्य सरकार किसी आदेश द्वारा अवधारित करे।

(ख) तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम के समस्त अधिकार देनदारियों और दायित्व, चाहे वे उक्त विभाग से सम्बन्धित किसी संधिदा से या अन्यथा उदभूत हुए हों, वे सब निगम के अधिकार, देनदारियों और दायित्व होंगे;

(2) ऐसी सम्पत्तियों, आस्तियों, अधिकारियों, देनदारियों और दायित्वों का मूल्यांकन ऐसे रीति से किया जायेगा, जैसाकि राज्य सरकार निर्धारित करे।

(3) राज्य सरकार समय-समय पर निगम की सम्पत्तियों, आस्तियों, देनदारियों और दायित्वों का स्टाक ले सकती है और किसी यथा विहित सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) एवं उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के मध्य निहित करने, अन्तरित करने या पुनः आवंटित करने हेतु निर्देशित कर सकती है।

(4) जहाँ नियत दिनांक के ठीक पूर्व इस अधिनियम को अधीन निगमों के मध्य बंटगारा के अध्याधीन तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम किसी सम्पत्ति अधिकार या देनदारियों के सम्बन्ध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के लिए पक्षकार हों वहाँ इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के आधार पर उस सम्पत्ति या उन अधिकारों या देन-दारियों में अंश धारण करने वाला या अर्जित करने वाला निगम तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम पर प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा अथवा उसे कार्यवाही हेतु पक्षभार के रूप में जोड़ा जायेगा।

धारा 37 का
सशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 37 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"37 (1) इस धारा में उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सीधी मर्ती से नियुक्ति अथवा समायोजित हो, नियत दिनांक को राज्य सरकार के सामान्य आदेश अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा दिये निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) एवं उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का कार्मिक हो जायेगा और उसी अवधि के लिए उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों और पेंशन, उपादान तथा विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारियों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा या सेवा में रहेगा, जिन पर वह नियत दिनांक को उसे धारण करता, यदि वह अधिनियम प्रवृत्त न होता और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा, जब तक उसका सेवायोजन निगम से समाप्त न कर दिया जाय अथवा जब तक कि किसी विधि के अधीन उसके अनुसरण में अथवा किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार जिससे उसकी सेवाएं नियंत्रित होती हों, निगम द्वारा उसका पारिश्रमिक या सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें पुनरीक्षित या परिवर्तित न कर दी जायं :

परन्तु यह कि उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगी, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम को ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, लिखित नोटिस द्वारा कर्मचारी न होने के अपने अभिप्राय की सूचना दे :

परन्तु अग्रतर यह कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम/निगम के अधीन पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी की सेवा उसके द्वारा घृत पद के समाप्त होने के कारण समाप्त हो जायेगी और वह तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो-

(क) किसी स्थाई कर्मचारी की दशा में, 03 मास के पारिश्रमिक;

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में एक मास के पारिश्रमिक, के बराबर

होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए गठित किसी पेंशन, मविष्य निधि, उपादान अथवा तत्सदृश अन्य निधि में उसके नाम जमा धनराशि तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नियत दिनांक तक देय संचयित ब्याज और ऐसी निधि से सम्बन्धित लेखा सहित निगम को अन्तरित कर दी जायेगी और तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम के अपवर्जन हेतु, निगम तत्सदृश धनराशियों का जो उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार उचित समय पर उन्हें देय हो, संदाय करने के लिए दायी होगा।

उपरोक्त पैरा में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन या अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ निगमों के मध्य वितरित किये जाएंगे।

(3) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन निगम के किसी कर्मचारी के सेवाओं के अन्तरण से कोई ऐसा कर्मचारी उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 या ऐसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी नियत दिनोंक को और स्थायी या अस्थायी पद के प्रति जो नियत दिनोंक से निगम के अधिष्ठान से रुजित हो जायेगा, निगम का यथारिथति स्थाई या अस्थायी कर्मचारी हो जायेगा।

(5) छटनी या पदों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में सिविल सर्जिस रेगुलेशन्स, जैसा कि वह राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के नियंत्रणाधीन सरकारी सेवकों पर लागू हों, के पैरा 426 या पैरा 436 की कोई बात सिवाय इस धारा में उपबन्धित सीमा तक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) किसी व्यक्ति की सेवाएं, तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम में नियत दिनोंक के ठीक पूर्व सेवायोजित या नियत दिनोंक से पहले जिराके विरुद्ध हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी या जिसको उसकी सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कोई नोटिस या आदेश जारी किया जा चुका था, निगम को नियत दिनोंक को या से अन्तरित नहीं होगी, और ऐसे व्यक्ति के विषय में नियत दिनोंक के पश्चात् ऐसी रीति से ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे।

(ख) यदि तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम के किसी कर्मचारी की सेवाएं उपधारा (1) के अधीन निगम को अन्तरित हो जाती हैं तो निगम ऐसे अन्तरण के पश्चात् राज्य सरकार की सेवा के दौरान ऐसे कर्मचारी की किसी कार्य या लोप या आचरण या अभिलेख को ध्यान में रखते हुए ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध या उसके सम्बन्ध में ऐसी अनुशासनात्मक या अन्य कार्यवाही करने में सक्षम होगा, जिसे वह उचित समझे।

10-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ विशेषतया तत्कालीन जल निगम के विभाजन के संक्रमण के सम्बन्ध में इस अधिनियम या संशोधनों में निर्दिष्ट अधिनियमिति के उपबन्धों द्वारा आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि वह अधिनियमितियों उस अवधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो परिष्कार, परिवर्धन अथवा लोप के रूप में हो सकते हैं तथा जिनसे मूलार्थ पर प्रभाव न पड़ता हो और जिन्हें यह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रमावी होंगे।

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनोंक से 02 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्य और कारण

जल संभरण और सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं का विकास और विनियमन करने हेतु निगम, प्राधिकरणों तथा संगठनों की स्थापना तथा उनसे संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 मन् 1975) अधिनियमित किया गया है।

उक्त अधिनियम, 1975 के अधीन उत्तर प्रदेश जल निगम का गठन, एक निगमिन निकाय के रूप में शाश्वत उन्नयन के साथ और समस्त प्रयोजनार्थ स्थानीय प्राधिकरण के रूप में किया गया था। उक्त जल निगम के बढ़े हुए कार्यभार के कारण और राज्य में ग्रामीण जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अनुभव किया गया कि राज्य में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पृथक-पृथक निगमों की आवश्यकता है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करके तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम को उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) और उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के रूप में विभाजित करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था पुरःस्थापित किया जाना है।

(संशोधन) विधेयक, 2021

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

कठिनाइयों को
दूर किया जाना

← RO SC Shukla Pollution C... 📺 📞 ⋮

6 December 2023

Forwarded

Reg. No. V-53213

E-mail: gautamnagar@gmail.com
Mob. No. 9330174102, 9453886137
9794754029, 8362979058



गौतम नगर विकास एवं सुरक्षा समिति

गौतम नगर, सुसुवाही, चाराम्पी-221011

पत्रांक सं: GNVSS/20-21/06

दिनांक : 05.08.2022

सेवा में

श्रीमान
नगर आयुक्त
नगर निगम चाराम्पी

विषय: गौतम नगर, सुसुवाही चाराम्पी में सीमेंट डेप (सीमेंट डस्ट) लगाने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि नगर निगम चाराम्पी क्षेत्र के अंतर्गत गौतम नगर, सुसुवाही, चाराम्पी स्थित है। इस कॉलोनी में प्रोकेसर बी एन राय जी के घर से विद्यमान पाठक जी के घर से राय शोचक रागजी के घर तक, प्रदूषणकारी जी के घर से दीर्घ दिश जी के घर तक जो लगभग 200 मीटर रोड के दोनों तरफ फनीम अस्था कठिनाई और मद्दगुणक है। इस में कई लोग दुष्ट, बंधे और गतिहार चोटित हो चुके हैं।

अतः महागुणक से अनुरोध है कि उपर्युक्त घरों के सामने सीमेंट डेप (सीमेंट डस्ट) लगवाने की कृपा करें। अन्य लोगों को चोटित होने से बचाएं।

सादर
कृतज्ञ
गौतम नगर विकास एवं सुरक्षा समिति
गौतम नगर सुसुवाही, चाराम्पी

Gautam
6/8/2022

13:42

Please do needful as you know it is pending since last year, requested so many times to C E & Mr Amit Mishra 🙏🙏

13:43

28 December 2023

[Name] Rajesh Yadav Ex En Bandhi Irrigation Deptt
[Mobile] +91 94572 07974

13:32

1 January 2024

Message



Reg. No. V-53213

E-mail: gntnagar@gmail.com
Mob. No. 9335174102, 9433886137
9784754323, 9302979050

GNTN

गौतम नगर विकास एवं सुरक्षा समिति

गौतम नगर, मुसुवाही, वाराणसी-221011

दिनांक : 05.06.2022

पत्रांक सं०: GNTN/20-21/05

सेवा में,


श्रीमान
नगर आयुक्त
नगर निगम वाराणसी

विषय: गौतम नगर, सुसवाही वाराणसी में सीमेंटेड पेवर ब्लॉक (सीमेंटेड इट्टा) लगाने के संबंध में।


गणोदय,

निवेदन है कि नगर निगम वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत गौतम नगर, सुसवाही, वाराणसी स्थित है। इस कॉलोनी में प्रोफेसर बी एन एच जी के घर से दिवाकर पाठक जी के घर से राम शेवक रागजी के घर तक, प्रहलाद तिवारी जी के घर से प्रोफेसर विमल जी के घर तक जो लगभग 200 मीटर रोड के दोनों तरफ जमीन अत्यंत क्षतिग्रस्त और गड़बड़भरा है। इस में कई लोग पृथ, पच्चे और गडिहाए चोटिल हो चुके हैं।

अतः गहानुभाष से अनुरोध है कि उपरोक्त घरों के सामने सीमेंटेड पेवर ब्लॉक (सीमेंटेड इट्टा) लगवाने की कृपा करें। अन्य लोगों को चोटिल होने से बचाए।

सादर

अध्यक्ष

गौतम नगर विकास एवं सुरक्षा समिति
गौतम नगर मुसुवाही, वाराणसी


4/8/2022